

श्रम

की दुनिया



अंतर्राष्ट्रीय
श्रम
कार्यालय
जेनेवा

आईएलओ की पत्रिका

श्रम में
समानता




अंक 30, अगस्त 2007

इस अंक में

- देशज महिलाएं और मेदभाव • श्रम में समानता : उसे संभव बनाना • आरएफआइडी तथा कार्यस्थल पर निगरानी
- अतीव मेदभाव - आईएलओ के संदेश को विश्वभर में पहुंचाना

75 वर्ष पहले ... ऐल्बर्ट टॉमस की याद में



© Vito York OWS

8 मई, 1932, को सुबह 3.30 बजे अचानक फोन की घंटी बजी...दोस्त की थी, 'परेशानी के लिए क्षमा चाहूंगा, बहुत बुरी ख़बर है। ऐल्बर्ट टॉमस चले गये। कल रात को एकाएक ही पैरिस में उनकी मृत्यु हो गयी।'

'आइएलओ के प्रथम निदेशक (1919-32) ऐल्बर्ट टॉमस का नाम अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय के साथ जुड़ गया था। जिस विशेष मुद्रे, सामाजिक न्याय, को लेकर इसकी स्थापना की गयी थी, उनका जीवन भी उसके प्रति समर्पित था।' ऐसा लिखते हैं एड्वर्ड जे. फेलन, जिन्होंने सन् 1920 से ही उनके साथ कार्य आरंभ कर दिया था, और जो बाद में जाकर स्वयं महा-निदेशक नियुक्त हुए।

फ्रांस के ऐल्बर्ट टॉमस पत्रकार, राजनीतिज्ञ, मंत्रीमंडलीय सदस्य और राजदूत के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके थे, परंतु 1919 में उनका आइएलओ का निदेशक चुना जाना आश्चर्यजनक था। उस समय से ही उन्होंने अपने आप को इस नये कार्य के प्रति समर्पित कर दिया था।

जब इन्होंने कार्यभार संभाला, आइएलओ कार्यालय के इनेगिने कार्यकर्ताओं के साथ लंदन के एक निजी भवन में स्थित था। कुछ ही वर्षों में उन्होंने आइएलओ को एक ऐसी संस्था में परिवर्तित कर दिया, जिसकी पहुंच विश्वव्यापी थी। उनके नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा 33 अंतरराष्ट्रीय समझौते पारित किये गये, जिनमें कई मौलिक मुद्रे शामिल थे, जैसे कार्य के धंटे, न्यूनतम आयु, स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व सुरक्षा, बेरोज़गारी, संगठन की आजादी, कार्य के दौरान दुर्घटना-सुरक्षा, न्यूनतम वेतन तथा जबरन श्रम।

उनके जानने वालों के वर्णन से यह स्पष्ट है कि श्री टॉमस के प्रभावशाली व्यक्तित्व ने आइएलओ के प्रथम दशक में कई उपलब्धियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। संचालन समिति के अध्यक्ष अतुल चटर्जी के अनुसार, 'अपने समय के वे विश्व के महानतम राजनेताओं में से एक थे...उनकी दृष्टि, उनका उत्साह, नज़रिया केवल सामाजिक न्याय सुनिश्चित कराने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि राष्ट्रों के बीच सोहार्दपूर्ण संवध स्थापित करने में भी वे तल्लीन थे। वे कई साधारण व्यक्तियों का कार्य अकेले कर सकते थे। उनकी रुचियां बेहत़हा थीं। वे महान एवं प्रखर वक्ता थे। उनका दिमाग़ बहुत चुस्त था और याददाशत बहुत तेज़। वे एक उत्कृष्ट आयोजक थे और उससे भी अधिक उनकी नेतृत्व-पहल करने की क्षमता असाधारण थी। कहा जा सकता है कि ये तो एक संघर्षप्रिय व्यक्तित्व की खूबियां हैं, परंतु इसके विपरीत वे मेलमिलाप बढ़ाने में ही संलग्न रहे। चरित्र की मज़बूती के साथ-साथ उनमें दयालुता और परोपकारिता भी कूट-कूटकर भरी हुई थी।'

हैरल्ड बटलर, जो उनके उत्तराधिकारी बने, उनके विश्वास, ऊर्जा, बहानुरी और बलिदान के माद्रदे के कायल थे। उन्होंने 1933 में अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था, 'सामाजिक स्थिति में सुधार, मानव अधिकारों की सुरक्षा तथा सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन को आधार बनाकर एक परंपरा का निर्माण करने में सफलता हासिल की, जो हमें विरासत में मिली है। उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम इस परंपरा को न केवल सुरक्षित रखें, बल्कि उसे और अधिक शक्तिशाली बनाएं।'

आइएलओ की पत्रिका

Je
की दुनिया

श्रम की दुनिया पत्रिका का प्रकाशन जेनेवा में आइएलओ के जन संपर्क बूरो द्वारा वर्ष में तीन बार किया जाता है। इस पत्रिका का प्रकाशन अरबी, चीनी, चेक, डैनिश, अंग्रेज़ी, फिन्निश, फ्रेंच, जापानी, नॉर्वेजियन, स्पैनिश और स्वीडिश भाषाओं में भी होता है।

संपादक

मे हॉफ्मैन अयरमार्क

प्रोडक्शन मैनेजर

किरन मेहरा कर्पलमन

प्रोडक्शन असिस्टेंट

कोरीन, लुचिनी

फ़ोटो संपादक

मार्सेल क्रोज़े

कला निर्देशन

एम्प्रीडीपी, आइएलओ, तूरिन

कवर डिज़ाइन

इवान्स मूर्तिया, आइएलओ, तूरिन - हाना बेट्चर
संपादकीय बोर्ड

टॉमस नेट्रटर (अध्यक्ष), शार्लोत बोशां, लॉरेन एल्सेस्सर, मे हॉफ्मैन अयरमार्क, किरन मेहरा कर्पलमन, कोरीन पर्थिवेस, हैन्स फ़ॉन रोलैंड।

यह पत्रिका अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का आधिकारिक दस्तावेज़ नहीं है। पत्रिका में व्यक्त विचार आवश्यक रूप से आइएलओ के विचारों की अभिव्यक्ति नहीं है। पत्रिका में उल्लिखित अभिव्यक्ति किसी भी देश, क्षेत्र या उपक्षेत्र और उनके प्रशासन की वैधता के परिसिमन के बारे में आइएलओ के विचारों की किसी भी प्रकार से अभिव्यक्ति नहीं है।

पत्रिका में कंपनियों या वाणिज्यिक उत्पादों या प्रक्रियाओं का उल्लेख आइएलओ द्वारा उहें मान्यता देना नहीं है और किसी निश्चित कंपनी, वाणिज्यिक उत्पाद या प्रक्रिया का उल्लेख रह जाना उनके प्रति आइएलओ की असहमति नहीं है।

पत्रिका के आलेखों या छायाचित्रों (फोटो एंजेसिमों के छायाचित्रों की छोड़कर) के स्त्रोत का स्वतंत्रता से उल्लेख करते हुए पुनःउपयोग किया जा सकता है। लिखित सूचना का स्वागत होगा।

सभी पत्र व्यवहार निम्न पते पर किये जाएः-

Neelam Agnihotri

Communications & Information Unit

INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION

Subregional Office for South Asia

Theatre Court, 3rd Floor,

India Habitat Centre

Lodi Road, New Delhi-110003

Tel: 011-24602101-02-03

email: sro-delhi@ilo.org

मुद्रक : विवा प्रैस प्रा० लि०,

नई दिल्ली-110020

आइएलओ तूरिन द्वारा प्रकाशित

आइएसएसएन 1020-7791

श्रम में समानता

भेदभाव से जूझने हेतु श्रम एक अद्वितीय प्रवेश द्वार है। महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद असमानता अभी भी विद्यमान है, विश्वभर में लाखों लोग इससे पीड़ित हैं और इसी कारण वे अपने सामर्थ्य व प्रतिभा को समझने व उसका इस्तेमाल करने में असमर्थ साबित रहते हैं। ‘श्रम की दुनिया’ आइएलओ की नयी रिपोर्ट ‘श्रम में समानता : चुनौतियों का सामना’ पर ध्यान केंद्रित करता है, कार्यस्थल पर नये तथा पुराने दोनों प्रकार के भेदभावों पर दृष्टि डालती है और इसी के साथ कुछ सफलताओं का भी वर्णन करती है।

पृष्ठ 4



आवरण कथा

आइएलओ वैश्विक रिपोर्ट
छलकपट तथा असुरक्षा : श्रम की दुनिया में भेदभाव तथा असमानता का नया
चेहरा 4

सामान्य आलेख

देशज महिलाएं अनेक बाधाओं पर हावी 8
श्रम में समानता : उसे संभव बनाना 12
कार्यस्थल में रेडियो फ्रीवेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) तथा निगरानी 16

फीचर्स

लैनेट वर्क

- काम पर लगाना? भर्ती में भेदभाव

20

समाचार

- महिलाओं के लिए वैश्विक रोज़गार की वैश्विक प्रवृत्तियां 2007
- एचआईवी/एड्स पर आइएलओ आचार संहिता को समर्थन
- संचालन समिति का 298वां सत्र
- यूरोपीय संघ द्वारा सभी के लिए उत्कृष्ट श्रम को प्रोत्साहन देने के निर्णय का आइएलओ द्वारा स्वागत
- श्रम तथा रोज़गार के मुद्रों को सुलझाने में असियान तथा आइएलओ द्वारा एक-दूसरे को सहयोग
- श्रम तथा रोज़गार कानूनों की स्थितियों के आंकड़े

25

महाद्वीपों के इर्द-गिर्द

नये प्रकाशन

31

34

1919 में गठित, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) अपने 175 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक मंच पर लाता है ताकि विश्व भर में जीवन और कार्य की परिस्थितियों तथा संरक्षण में सुधार के लिए एक समान कारबाई की जा सके। जेनेवा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय, संगठन का स्थाई सचिवालय है।

छल-कपट तथा असुरक्षा :

श्रम की दुनिया में भेदभाव तथा



© ILO/Photo by Y. K.

का

र्यस्थल पर भेदभाव में संघर्ष में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद समाज की मुख्यधारा में शामिल लोगों और भेदभाव से जूँड़ते लोगों के बीच असमानता ढिडाई से कायम है और विश्वभर में लाखों लोग इससे लगातार पीड़ित हैं। आइएलओ की नयी रिपोर्ट - कार्य में

समानता : चुनौतियों से मुकाबला - इस विषय पर अब तक सबसे व्यापक अध्ययन है। रिपोर्ट न केवल कार्य में समानता सुनिश्चित करने के प्रयासों अपितु इस छलकपटपूर्ण व्यवहार को समाप्त करने हेतु क्या कुछ करना बाकी है, पर भी प्रकाश डालती है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि अधिक विविध एवं अधिक समानतापरक कार्यस्थलों की स्थापना में पारंपरिक तथा नई नीतियां कितनी प्रभावशाली रही हैं।

जेनेवा - भेदभाव पर आइएलओ की पिछली वैश्विक रिपोर्ट चार साल पहले आयी थी। तब से लेकर अब तक कार्यस्थल पर समानता हेतु संघर्ष की उपलब्धियों और असफलताओं का मिश्रित लेखा-जोखा आइएलओ की नयी रिपोर्ट में दिया गया है।

सकारात्मक तथ्य है कि आइएलओ सदस्य देशों के प्रयासों के

फलस्वरूप भेदभाव काफ़ी कम हुआ है। वर्ष 2006 के अंत तक दस में से नौ सदस्य देशों ने भेदभाव पर दो समझौतों का अनुमोदन कर दिया था - समान वेतन-भत्ता समझौता, 1951 (संख्या 100) तथा भेदभाव (रोजगार तथा व्यवसाय) समझौता, 1958 (संख्या 111) - और इस प्रकार भेदभाव विरोधी कानून तथा नीतियां बनाने हेतु वचनबद्ध हैं।

नई पहलों - जैसे एचआइवी/एड्स पर आइएलओ की आचार संहिता - ने श्रम के विश्व में एड्स के प्रति सार्वजनिक तथा निजी प्रतिक्रिया में क्रांति ला दी है। अधिक से अधिक देश कार्यस्थलों पर भेदभाव से निपटने के लिए विशिष्ट संस्थान बना रहे हैं।

तथापि, समानता तथा असमानता के बीच अभी भी बहुत असंतुलन की स्थिति है। कानून प्रवर्तन कमज़ोर है। और कई देशों में भेदभाव से निपटने के लिए बनाये गये कार्यालयों में स्टाफ़ एवं धन, दोनों की कमी है। जबकि औपचारिक अर्थव्यवस्था में भेदभाव-विरोधी प्रयास तीव्र हो रहे हैं, विकसित होती अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में करोड़ों लोग ऐसी नीतियों की अपेक्षा करते हैं, जो उन्हें कार्यस्थल पर समानता से बचाने रखने वाली बाधाओं को दूर करें।

*श्रम की दुनिया में समानता:

चुनौतियों से मुकाबला -
कार्यस्थल पर मौलिक सिद्धांत
और अधिकारों पर आइएलओ
वैश्विक रिपोर्ट, सत्र 2007,
96वां अंतरराष्ट्रीय श्रम
सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय श्रम
कार्यालय, जेनेवा।

यह रिपोर्ट आइएलओ की
इंटरनेट साइट

(www.ilo.org/declaration)
पर भी देखी जा सकती है -
आइएसबीएन्
978-92-2-118130-9
आइएसएसएन् 0074-6681

असुरक्षा का नया चेहरा

भेदभाव का प्राचीन रूप - नस्ल, लिंग, जाति, राष्ट्रीयता इत्यादि के आधार पर भेदभाव, छोटों और बड़ों के साथ असमान व्यवहार, विकलांगता, एचआईवी/एडस प्रभावित व्यक्तियों और भिन्न लैंगिक रुचि वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभाव - कुछ समाजों तथा संस्कृतियों में अत्यधिक फैले हुए हैं। इसी बीच, भेदभाव के नये रूप भी विकसित हो रहे हैं, विशेषकर उन व्यक्तियों के विरुद्ध जिनमें कुछ रोगों के शिकार होने की आनुवांशिक प्रवृत्ति होती है या वे जिनकी जीवन शैली अस्वास्थ्यकर समझी जाती है, जैसे थूमपान, चाहे वह कार्यस्थल से दूर भी क्यों न हो।

वैश्विक रिपोर्ट का मुख्य संदेश यह है कि श्रम में भेदभाव से निपटने के लिए एक अधिक समान समाज का निर्माण ही विकास नीतियों का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। इस दिशा में प्रगति हेतु साधनों में से एक है सभी महिलाओं और पुरुषों को, उनके धर्म, नस्ल, अशक्तता, आयु अथवा लैंगिक अभिपूर्वता के आधार पर भेदभाव न करके उत्कृष्ट श्रम के समान अवसर उपलब्ध कराना।

कुछ लोगों के लिए भेदभाव का अर्थ है कोई मनचाही विशेष नौकरी उन्हें न मिलना, जिसके बे योग्य हैं, जबकि दूसरों के लिए इसका अर्थ है किसी भी तरह का रोज़गार न प्राप्त होना। इस तरह का आर्थिक भेदभाव प्रतिकूल सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को जन्म देता है, जिससे राजनीतिक तथा आर्थिक स्तर पर उथल-पुथल मच जाती है, और यह निवेष तथा आर्थिक विकास को बाधित करती है।

रिपोर्ट के अनुसार समानता में इन रुकावटों के कारण आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में समाज अपनी क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं कर पाता।

आइएलओ के महानिदेशक हुआन सोमाविया, जिन्होंने मई में 96वें अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के दौरान अपनी रिपोर्ट पेश की थी, के अनुसार, 'कार्यस्थल पर भेदभाव मानव अधिकारों का उल्लंघन है, जो मानव प्रतिभा को नष्ट कर देती है, जिससे उत्पादकता और आर्थिक विकास प्रभावित होते हैं। 'भेदभाव सामाजिक-आर्थिक असमानता पैदा करता है, जिससे सामाजिक-सांस्कृतिक एकात्मकता नष्ट होती है और निर्धनता उन्मूलन में ख़लल पड़ता है।'

यह रिपोर्ट आइएलओ के केंद्रीय श्रम मुद्रों पर अध्ययनों की वार्षिक शृंखला का एक भाग है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, 1998, में की गयी मौलिक सिद्धांतों तथा कार्यस्थल में अधिकारों पर व धोषणा के तहत तैयार की गयी थी। धोषणा में चार मौलिक

सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किया गया है : संगठन की आज़ादी, बाल मज़दूरी का ख़ात्मा, जबरन श्रम तथा भेदभाव का उन्मूलन।

अदृश्य छत्र

जिस प्रकार कार्यस्थल चलाये जाते हैं, उसमें भेदभाव सन्निहित है और इस भेदभाव की जड़े प्रचलित सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों में होती हैं।

भेदभाव औपचारिक तथा अनौपचारिक

हाल ही में एक नये भेदभाव ने जन्म लिया है, जिसके अंतर्गत कार्यस्थलों में भेदभाव अधिक खुले रूपों में होता है चूंकि ये कार्यस्थल श्रम-संवर्धी कानूनों और उनके कार्यान्वयन तंत्रों के सुरक्षा दायरे के बाहर होते हैं।

ऐसे व्यक्तियों को, 'जिनमें कुछ रोगों के शिकार होने की आनुवांशिक प्रवृत्ति होती है या वे जिनकी जीवन शैली अस्वास्थ्यकर समझी जाती है', वंडित किया जाता है। आनुवांशिकी तथा इससे संबंधित तकनीकों में तेज़ी से हो रहे विकास ने किसी व्यक्ति के अनुवांशिकी स्तर की जानकारी प्राप्त करना आसान कर दिया है।

रिपोर्ट के अनुसार आनुवांशिक परीक्षण की कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। यदि अमुक व्यक्ति में किसी रोग के भविष्य में शिकार होने की आनुवांशिक प्रवृत्ति पायी जाती है तो नियोक्ता उसके प्रति भेदभावपूर्ण रूपैया अंतियार कर सकता है। कार्यस्थल पर आनुवांशिकी भेदभाव सिद्ध हो चुका है और विश्वभर में कई न्यायालयों ने उसके विरुद्ध फैसला सुनाया है।

रिपोर्ट का एक अन्य मुख्य मुद्रा है रोज़गार व वेतनमानों में

>>





© - कृति छवि, यूके

>>

लगातार चल रही लैंगिक असमानताओं और पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के चलते कार्य में लिंग-आधारित पृथक्करण से जूझने के लिए समाकलित नीतियों की आवश्यकता। विश्व के करीब-करीब सब देशों में श्रमिक बल एवं वैतनिक रोजगार में महिलाओं की भागीदारी दर में निरंतर वृद्धि हुई है, लेकिन वेरोज़गारी में लैंगिक अंतर हटाने में बहुत सफलता नहीं मिली है।

हालांकि श्रम में वैश्विक लैंगिक अंतराल 3.5 प्रतिशत कम हुआ है, शिक्षा में असाधारण प्रगति के बावजूद सब जगह महिलाओं को पुरुषों से कम वेतन दिया जाता है।

हम क्या कर सकते हैं?

भेदभाव से जूझने तथा आइएलओ के प्रस्तावित कार्य योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वैश्विक रिपोर्ट में कई क्रमबद्ध सुझाव दिये गये हैं। इनमें शामिल हैं अधिक समेकित एवं समन्वित वैश्विक कार्रवाई द्वारा लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करना, विभिन्न समुदायों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भेदभाव-निरोधन एवं समानता को आइएलओ के उत्कृष्ट श्रम राष्ट्रीय कार्यक्रमों के मुख्य अंगों में सम्मिलित करना, अधिक उत्तम कानून बनाना और उनका अधिक प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, अनियमित पहलौं करना, जैसे सरकारी खरीद तथा ऋण एवं निवेश नीतियां, सामूहिक सौदा समझौतों तथा व्यवहार संहिताओं द्वारा श्रमिकों एवं नियोक्ताओं की कार्यस्थलों पर समानता को यथार्थ बनाने में सहायता।

कार्यस्थल पर समानता के लिए रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित एक सुझाव है भेदभाव-विरोधी नीतिगत उपायों - जैसे व्यापक कानून, प्रभावकारी प्रवर्तन क्रियाविधि तथा यथोचित-धन-प्रदत्त विशेष संस्थाएं - को अन्य नीति यंत्रों - जैसे सक्रिय श्रम बाज़ार नीतियां तथा सार्वजनिक विपणन नीतियां, जिनके आधार - भेदभाव विरोध तथा समानता हैं - के अनुपूरक बनाना।

सक्रिय श्रम बाज़ार नीतियों में नौकरी की तलाश, भर्ती तथा नियोजन, प्रशिक्षण, रोजगारप्रक कार्यक्रम तथा विभिन्न सहयोगी सेवाएं सम्मिलित हैं। कई देशों में इनका उपयोग किया जाता है, जिनके विभिन्न परिणाम निकलते हैं। रिपोर्ट में दिये गये सबूतों के अनुसार ऐसी श्रम बाज़ार नीतियां असमानता कम करने में अर्थपूर्ण अवसर उपलब्ध करा सकती हैं।

भेदभाव से जूझने का आइएलओ का एक लंबा इतिहास है। दो वैश्विक समझौतों - (संख्या 100 तथा 111) का पवित्रण एवं प्रवर्तन, सरकारों को समर्थकारी नियामक ढांचे तैयार करने हेतु सहायता और श्रमिक तथा नियोक्ता संगठनों की क्षमता बढ़ाने से लेकर भेदभाव के कारण और अविर्भाव पर व्यापक शोधकार्य तक जाता है। रिपोर्ट इस बात पर बल देती है कि क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण तथा मुक्त व्यापार समझौतों में मौलिक सिद्धांतों एवं अधिकारों का और अधिक समावेश कार्यस्थल पर भेदभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

रिपोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद द्वारा जुलाई 2006 में उत्कृष्ट श्रम के वैश्विक लक्ष्य के अनुमोदन की प्रशंसा की है। इस अनुमोदन के छह महीने बाद यूरोपीयन संघ सहित पूरे विश्व में उत्कृष्ट श्रम को प्रोत्साहन देने हेतु निष्कर्षों का एक समूह अपनाया। इससे कार्यस्थल पर समानता को वैश्विक यथार्थ बनाने के प्रयासों को नई शक्ति मिली है।

उसके अनुसार भेदभाव-विरोधी प्रयास आइएलओ के सभी पुरुषों व महिलाओं के लिए उत्कृष्ट श्रम के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विस्तृत रणनीति के अभिन्न अंग हैं।

अंत में वैश्विक रिपोर्ट ने कई अनुर्ती श्रृंखलाबद्ध प्रयासों की सिफारिश की है, ताकि श्रम की दुनिया में समान अवसर एक यथार्थ बन सके।

आइएलओ समझौते

भेदभाव से जूझने तथा कार्यस्थल पर समान व्यवहार एवं अवसर प्रोत्साहित करने हेतु राजनीतिक वचनबद्धता व्यापक है। जैसा कि इस क्षेत्र में दो मुख्य आइएलओ समझौतों के लगभग सार्वभौमिक अनुसमर्थन से ज़ाहिर है। ये समझौते हैं - समान परिश्रमिक समझौता, 1951 (संख्या 100), तथा भेदभाव (रोजगार तथा व्यावसायिक) समझौता, 1958 (संख्या 111) केवल कुछ ही सदस्य देशों ने इनका अनुसमर्थन अभी तक नहीं किया है।

इन अनुसमर्थनों एवं अन्य आइएलओ समझौतों के अनुसमर्थनों की नवीनतम सूची के लिए कृपया देखें <http://www.ilo.org/public/english/standards/norm/index.htm>

भेदभाव से जूझने के लिए श्रृंखलाबद्ध सिफारिशें

- अधिक समेकित तथा बेहतर समन्वित वैशिक कार्वाई के ज़रिये लिंग समानता को प्रोत्साहन देना;
- विभिन्न समुदायों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भेदभाव निरोधन तथा समानता को आइएलओ के उत्कृष्ट श्रम राष्ट्रीय कार्यक्रमों की मुख्यधारा में लाना;
- बेहतर कानून बनाना तथा उन्हें बेहतर तरीके से लागू करना;
- अधिक प्रभावशाली अनियमबद्ध पहलें जैसे सरकारी खरीद तथा ऋण एवं निवेश नीतियां;
- श्रमिकों तथा नियोक्ताओं को सामूहिक सौदा समझौतों तथा आचार-संहिताओं के ज़रिये कार्यस्थल पर समानता को यथार्थ बनाने में मदद करना।

मुख्य बिंदु

- भेदभाव, जिसकी जड़ें समाज के मूल्यों तथा मानकों में हैं, से जूझने और उसके उन्मूलन की ज़रूरत है;
- भेदभाव की कोई एक परिभाषा नहीं है, न ही इसके दुष्प्रभावों को मापने का कोई एक पैमाना;
- कार्य में भेदभाव केवल कानून द्वारा ही कम नहीं हुआ है;
- श्रम में समानता के लिए आवश्यक है प्रभावशाली श्रम बाज़ार और भेदभाव-विरोधी नीतियां;
- भेदभाव को कम करने के लिए आवश्यक है सहायक आर्थिक तथा व्यापार नीतियां
- लैंगिक भेदभाव सबसे अधिक संख्या में प्रभावित करता है

परिभाषाएं

भेदभाव क्या है? रोजगार में भेदभाव का अर्थ है ऐसे संलक्षणों के आधार पर जिनका उनकी योग्यता तथा कार्य की आवश्यकताओं से कोई संबंध नहीं है, लोगों से भिन्न-भिन्न व्यवहार करना। इन संलक्षणों में सम्मिलित हैं नस्ल, धर्म, जाति, लिंग, सामाजिक उद्भव तथा राजनीतिक विचार। कार्य में भेदभाव मानव अधिकारों का उल्लंघन है, जिसके परिणामस्वरूप कई मानव प्रतिभाएं नष्ट हो जाती हैं, और उत्पादन और आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा सामाजिक-आर्थिक असमानता बढ़ती है, जिस कारण सामाजिक सौहार्द्धता तथा एकात्मकता का बातावरण नष्ट होता है। इससे निर्धनता उन्मूलन में भी रुकावटें आती हैं।

किन परिस्थितियों में विभिन्न व्यवहार भेदभावपूर्ण नहीं होते? उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर आधारित विभिन्न व्यवहार एवं परिश्रमिक भेदभाव पूर्ण नहीं होते। कुछ श्रमिक और कुछ व्यवसाय दूसरों के मुकाबले अधिक उत्पादक होते हैं, जो भिन्न कौशल, शैक्षिक योग्यता और सक्षमता को दर्शाते हैं। इससे कार्य के दौरान भिन्न-भिन्न लाभ होते हैं - यह उचित और फलोत्पादक भी है। व्यक्तिगत योग्यता जैसे प्रतिभा, ज्ञान तथा कौशल, पर आधारित विभिन्न व्यवहार भेदभावपूर्ण नहीं होते। कुछ व्यक्तियों की विशेष आवश्यकताओं के मद्देनज़र उनके साथ भिन्न व्यवहार भेदभाव नहीं है - बर्शें उन्हें समान अवसर मिलें। यह अक्सर सकारात्मक किया मानी जाती है।

देशज महिलाएं अनेक बाधाओं पर हावी



©UNIV. U VIU@VIU.MY. ITMB.

श्री

म की दुनिया में संसार भर के देशज लोग भेदभाव के शिकार हैं, लेकिन देशज महिलाओं पर लैंगिक तथा नस्लीय आधार पर दुहरी मार पड़ती है। आइएल्झो जेंडर ब्यूरो तथा इंडिस्को की जैसी फ्रेडलुंड ने इस समस्या का अवलोकन किया और बांगलादेश की कुछ सफल कहानियां निकालीं।

जेनेवा - देशज संस्कृतियों में बेइंतहा विभिन्नता के बावजूद देशज लोगों को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वे करीब-करीब एक जैसी ही होती हैं। सभी महाद्वीपों में कुछ मुद्रे उभरकर अग्रभूमि में आते हैं।

- नस्ल के आधार पर भेदभाव झेलने के अलावा, देशज समुदाय के सदस्य भाषायी अल्पसंख्यक समुदाय के होने के कारण भी शिक्षा, रोज़गार और रोज़मर्ज़ा ज़िंदगी में भेदभाव के शिकार होते हैं।
- नवागंतुकों ने देशज लोगों की बहुत सी ज़मीन हड्डप ली है और वे उस पर बस गये हैं। देशज लोग कानूनी सुरक्षा के अभाव में उस ज़मीन का, जिस पर वे प्राचीन समय से बसे थे, पुनःग्रहण नहीं कर सकते।
- देशज समुदाय आमतौर पर दूर-दराज पड़े, ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जहां वे मौलिक ढांचागत सुविधाओं और बड़े बाज़ारों तक पहुंच से महसूम होते हैं।

- देशज समुदायों ने पर्यावरण सुरक्षा में भी ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष योगदान दिया है। देशज लोग पारंपरिक तौर से जीविका के लिए पेड़-पौधों, जानवरों तथा एक अतिसंवेदनशील पारिस्थितिकीय प्रणाली के अन्य अवयवों पर निर्भर रहते हैं। उनकी अर्थव्यवस्था पर पर्यावरणीय असंतुलन का बहुत घातक असर पड़ता है।
- भूमि सुधार और संपत्ति कानून खानाबदोश देशज समूहों की गतिविधियों पर बाधक सिद्ध हुए हैं। परिणामस्वरूप उनके पारंपरिक व्यवसाय अति संकृचित एवं अलाभप्रद हो गये हैं। कहीं-कहीं बहुसंख्यक होने के बावजूद देशज तथा जनजातीय लोग हमेशा हाशिए पर रहते हैं, राष्ट्रीय तथा स्थानीय सरकारों में उनकी भूमिका नगण्य होती है वे हमेशा हाशिए में ही रहते हैं और नीति-निर्माताओं द्वारा उनके हितों तथा आवश्यकताओं की अनदेखी की जाती है।
- वर्षों से चल रहे भेदभाव के कारण कई देशज समुदाय ग्रीवी में ढूबे हुए हैं, जिसने उनके सशक्तिकरण तथा स्थिति में सुधार के अवसरों को और भी कम कर दिया है।
- नस्तीय और लैंगिक पहचान के प्रतिच्छेदन का अर्थ देशज महिलाओं द्वारा अनेक प्रकार के भेदभाव का सामना करना। बहुधा सभी स्तरों पर निर्णय-प्रक्रिया में भागीदारी से वंचित, देशज महिलाएं विश्व के सबसे दयनीय लोगों में शामिल हैं।

देशज समाजों में भी जहां महिलाएं प्राचीन काल से सशक्त थीं। विगत कुछ दशकों में आर्थिक और राजनीतिक ढांचे में आये बदलावों ने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के अवसर क्षीण कर दिये हैं। पारंपरिक उद्योगों के नष्ट होने से उत्पन्न तकलीफ बहुधा महिलाओं को ही झेलनी पड़ती हैं। रोज़गार के अवसर तथा सामाजिक सुरक्षा दोनों उनसे छिन जाते हैं। देशज महिलाओं को आमतौर पर उनके अनुपात से कहीं अधिक मृत्युदर, नीची साक्षरता दर और ऊंचे निर्धनता स्तर का सामना करना पड़ता है।

बांगलादेश की तीन महिलाएं

देशज तथा आदिवासी लोग बांगलादेश की जनसंख्या का केवल एक प्रतिशत हैं, नस्तीय बहुसंख्यक, बंगाली, 98 प्रतिशत। ग्रीवी में बदहाल देश में देशज लोग बहुधा ग्रीवी रेखा में सबसे ग्रीव हैं। उन्हें शिक्षा, रोज़गार और मानव अधिकारों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। चटगोंग पहाड़ी क्षेत्र में दशकों तक देशज-नेतृत्व में विद्रोहियों और सरकारी सुरक्षा बलों के बीच चली झड़पों के कारण सामाजिक तनाव बढ़ गया था, और देशज समुदाय के लोगों के मानव तथा नागरिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ है। लगभग दस वर्ष पहले किये गये शांति समझौते के बावजूद आज भी उस अन्याय का प्रभाव नज़र आता है।

हालांकि महिलाओं ने देश के विकास प्रयासों में अहम भूमिका

निभाई है, समाज के अधिकांश भाग द्वारा महिलाओं का घर से बाहर जाकर काम करने के विचार को पूरी तरह से अपनाना अभी बाकी है। देशज महिलाओं को आमतौर पर बहुत ही कम वित्तीय सुरक्षा प्राप्त है, वे परिवार के परुष सदस्यों पर निर्भर हैं। लेकिन तब क्या होगा जब वह सुरक्षा कवच टूट जायेगा?

पूर्वी बांगलादेश में मणिपुरी देशज समूह की सुजाता बेगम खुकूमोनी, मुस्लिम हैं, वे केवल नौ वर्ष की थीं, उनके चावल विक्रेता पिता के चावल से भरे दो ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण परिवार कर्ज़े के बोझ तले आ गया। सात साल बाद खुकू के भाई को एक गंभीर चोट आयी और वह विक्षिप्त हो गया। खुकू के पिता अवसाद से घिर गये। अब अपने घर और छोटे भाई-बहनों की ज़िम्मेदारी खुकू के कंधों पर आ गयी।

15 वर्ष की खूकू उरीलाई महिला समिति, एक ऐसा स्वयंसेवी समूह जैसे आइएल्सो की परियोजना रोज़गार तथा स्वास्थ्य द्वारा महिला सशक्तीकरण (डब्ल्यूईईएच सहायताप्राप्त) से जुड़ गयी। व्यापार, हस्तकला विकास और कृषि में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्होंने टमाटर की खेती और बुनाई के लिए छोटे-छोटे ऋण लेने का फैसला किया। इन दो कामों के ज़रिये वे अपने परिवार की मुख्य पालनहारा बन गयीं। अब 20 वर्ष की आयु में वे स्वयं को और अपने भाई-बहनों को संभालती हैं तथा अपने परिवार की बचत तथा वित्तीय मामलों की देखरेख करती हैं। उनकी योजना आइएल्सो- डब्ल्यूईईएच और अपनी समिति की अतिरिक्त सहायता से अपने व्यापार को और अधिक मज़बूत बनाने की है।

छह वर्ष पहले, पूर्वी बांगलादेश के जंगलों में रहने वाली युवा देशज खसिया झीं जूली मार्टेल्सन के पति की अचानक मृत्यु हो गयी। वह पान के पते उगाता था। तीन बच्चों की विधवा माँ जूली अब बेसहारा हो गयी थी। क्षेत्र के अन्य खसिया लोगों की तरह जूली और उसके पति की अपनी कोई ज़मीन नहीं थी। इन देशज लोगों को ज़मीन सरकार से लीज़ पर लेनी पड़ती थी, हालांकि उसका इस्तेमाल ये लोग पीड़ियों से करते आ रहे हैं। कई देशज समुदायों की तरह, अधिकांश खसिया लोगों के नाम कोई भूमि नहीं है; लेकिन बहुधा इस प्रथा को आधिकारिक मान्यता नहीं मिलती। भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र ऋण के लिए आवश्यक होता है और बिना इन प्रमाणपत्र के अधिकांश खसिया किसानों - विशेषकर महिलाओं - के ऋण प्राप्ति के अवसर नहीं के बराबर हैं। पति की मौत से पहले ही जूली यह समझ चुकी थी कि ऋण से ही उनके जीवन-स्तर में सुधार हो सकता है। वह अपने समुदाय के महिला ऋण समूह में शामिल हो गयी, जहां से उसे इतना ऋण मिला कि वह पान की फसल जारी रखने हेतु कई श्रमिक लगा सकी। खेत में स्थानीय मज़दूरों को लगाकर उसने अपना ध्यान कटाई के बाद की प्रक्रिया पर दिया और पते विक्रेताओं को बेचने का पूरा जिम्मा अपने ऊपर ले लिया।

>>



© Folio एम

>> कुछ समय बाद जूली ने दूसरा विवाह कर लिया और आज वह अपने दूसरे पति के साथ पान उत्पादन में लगी हुई है। वह अभी भी पत्ते बेचती है और खसिया के मात्रसत्तात्मक समाज के अनुसार परिवार की धन-संपत्ति को अपने नियंत्रण में रखे हुए है। आइएलओ द्वारा प्रायोजित परियोजना उत्कृष्ट श्रम द्वारा महिला सशक्तिकरण (डब्ल्यूआईडीई) द्वारा इसने अपने मुनाफे को बढ़ाया और अधिक ऋण लेकर अपने व्यापार को विस्तृत किया है। जूली की कड़ी मेहनत और व्यापार की अच्छी समझ ने परिवार का जीवन ही बदल दिया। अपने बच्चों को वह स्कूल भेज सकती है और उनका भविष्य उज्ज्वल दिखाई पड़ रहा है।

सनोई सिन्हा 54-वर्षीया हिंदू महिला हैं, खूकू की तरह ही वे देशज मणिपुरी लोगों में से एक हैं। करीब 43 वर्ष की आयु तक वे पहले अपने पिता और पति की सुरक्षा में रहीं। लेकिन 1994 में उनके पति को त्यूकेमिया (श्वेतरक्तता) का रोगी करार दिया गया और उसके इलाज में पूरा परिवार भारी ऋण के तले दब गया। भरसक प्रयत्न के बावजूद अगले साल वह चल बसा, अपने पीछे सनोई और दो अविवाहित बेटियां छोड़कर उनकी सारी संपत्ति एक घर और छोटा सा बगीचा ही थी।

सनोई ने अपने पति की मौत से कई वर्ष पहले ही एक महिला ऋण और स्वयंसेवी समूह की सदस्यता ले ली थी और एक गैर सरकारी संगठन की मदद से तथा आइएलओ द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम से वे बुनाई व्यापार आरंभ करने में

सक्षम हो गयीं। पहले ही कई वर्षों तक समय काटने के लिए बुनाई करके उन्होंने इस काम में दक्षता हासिल कर ली थी। उपरकरणों तथा आवश्यक सामान खरीदने के लिए उन्होंने एक बड़ी मात्रा में ऋण लिया और कई पारंपरिक तथा गैर पारंपरिक वस्तुओं का निर्माण आरंभ कर दिया। इन वस्तुओं के विक्रय से प्राप्त आमदनी और नये ऋण से उन्होंने अपने करघों के लिए कार्यशाला बनवायी। आज वे लगभग सारा ऋण चुका चुकी हैं और उन्हें विश्वास है कि एक नये करघे के लिए उन्हें आगे भी वित्तीय सहायता मिलेगी। हालांकि उन्हें अपने और अपनी बच्चियों के निर्वाह के लिए अभी भी कठिन परिश्रम करना है, उन्हें भविष्य में बड़ी आशाएं हैं। वे उज्ज्वल भविष्य के प्रति आश्वस्त हैं।

बदलाव का समय

खूकू, जूली और सनोई को देशज महिलाओं की भूमिका निभाने में ही शक्ति मिली। ये तीनों ही उन समाजों से आयी हैं, जहां महिलाओं और पुरुषों के बीच संबंध पारंपरिक रूप से मुख्यधारा के बांगलादेशी समाज के मुकाबले लचीले हैं। खूकू ने आइएलओ को बताया कि मणिपुरी होने के नाते वह घर से बाहर निकलकर काम ढूँढ़ने के लिए आजाद थी, जबकि बंगाली मुस्लिम परिवारों में लड़कियों पर अकसर इस मामले में बंदिश होती है। जूली कहती है कि खसिया, जो कि दो मात्रसत्तात्मक समाजों में से एक है, की सदस्या होने के नाते वह परिवारिक धन-संपत्ति पर अधिक नियंत्रण रख सकी। खासिया समाज में महिलाएं ही धन-संपत्ति पर नियंत्रण रखती हैं।

खूकू, जूली और सनोई ने पारंपरिक देशज उद्योगों का अपना ज्ञान अपने व्यापार को आरंभ करने में लगाया। खूकू जब पांच साल की थी, तभी से उसने पारंपरिक मणिपुरी बुनाई सीखनी आरंभ कर दी थी। सनोई का बुनाई व्यापार भी इसी ज्ञान पर आधारित है। पीढ़ियों से मणिपुरी महिलाएं बुनाई का कार्य करती आ रही हैं। पान के पत्तों की फसल उगाने में जूली ने अपने समुदाय के अनुभव को सीखा और पारंपरिक जीविका साधन को एक सफल तथा बढ़ते हुए व्यापार का आधार बताया।

इन महिलाओं की तरह बांगलादेश तथा विश्वभर में हजारों देशज महिलाओं ने ग्रीष्मी तथा भेदभाव से जूझने के लिए कमर कस ली है। पारंपरिक ज्ञान तथा मूल्यों के साथ सरकारों, गैर सरकारी संगठनों तथा आइएलओ जैसी संस्थाओं से मिली अर्थीक सहायता ने देशज महिलाओं को उनकी, उनके परिवार तथा उनके समुदाय की बेहतरी का अद्भुत अवसर दिया है।

ये तथा इस तरह के कई अन्य देशज लोगों के बहुधा अंधकारमय निराशाजनक जीवन में आशा जगाती हैं। बांगलादेश में आइएलओ-डब्ल्यूआईएच परियोजना अन्य सहयोगी गैर सरकारी संगठनों तथा देशज महिलाओं के साथ मिलकर ग्रीष्मी तथा अन्याय के खिलाफ लड़ रही है।

परियोजना ने देशज महिलाओं तथा पुरुषों को उत्पाद-कौशल एवं व्यापार-प्रबंधन में प्रशिक्षण तथा महिलाओं और श्रमिकों के अधिकारों के बारे में जानकारी दी है।

इन संगठनों एवं संस्थाओं ने परिवारों को लघु-बीमा प्रदान कराने में सहायता दी है, और लघु ऋण समूहों की स्थापना में सहयोग दिया है, और इस प्रकार महिलाओं तथा पुरुषों द्वारा लंबे समय से चली आ रही परंपराओं और आधुनिक ज्ञान के सम्मिश्रण से नये उद्योगों की स्थापना में मदद की है।

वांग्लादेश में कार्यरत परियोजना आइएल्ओ तथा सहयोगी गैर सरकारी संगठनों द्वारा विगत कुछ वर्षों से चलाई जा रही कई परियोजनाओं में से केवल एक है।

मध्य अमेरिका में हाल में एक आइएल्ओ परियोजना द्वारा देशज महिलाओं को पर्यटन व्यवसाय आरंभ करने हेतु शिक्षा तथा प्रशिक्षण दिया गया है।

एक अन्य आइएल्ओ परियोजना ने फिलीपीन्ज़ में शहरी देशज महिलाओं को बुनाई व्यवसाय के विस्तार में मदद दी है।

कैमरूनियन महिलाओं ने उद्यान कृषि व्यवसाय एवं हस्तकला उद्योग शुरू करने तथा स्टोर्स खोलने में आइएल्ओ परियोजना की मदद ली है।

भारत में आइएल्ओ ने देशज महिलाओं को बचत तथा ऋण सहकारी स्थापित करने में और उद्यमिता में सहयोग दिया है। यहां केवल कुछ ही उदाहरण दिये गये हैं। देशज परिवार अक्सर महिला-केंद्रित होते हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण उनके परिवारों और समुदायों के कल्याण हेतु आवश्यक है।

देशज महिलाओं की ओर ध्यान जाने से उनके साथ-साथ उनके समुदाय का भी उत्थान हो रहा है। देशज परिवारों में अक्सर महिलाएं धुरी मानी जाती हैं। उनके सशक्तीकरण से ही उनके परिवारों का उद्घार हो सकता है। देशज समुदायों की महिलाओं में पारंपरिक ज्ञान का अथाह भंडार होता है। इसके अलावा सभी संस्कृतियों में बच्चों की पूरी ज़िम्मेदारी उन्हीं पर होती है; वे बच्चों की प्रथम तथा महत्वपूर्ण शिक्षिकाएं होती हैं। महिलाओं को दिया जाने वाला ज्ञान पीढ़ियों को हस्तांतरित हो सकता है, जिससे उनके बच्चों तथा नाते-पोतियों के लिए अवसर बढ़ सकते हैं।

आइएल्ओ तथा देशज लोग

3P इएल्ओ देशज लोगों की आवश्यकताओं तथा अधिकारों को समझते हुए बहुत लंबे समय से उन्हें सहयोग देने में अग्रणी रहा है। संगठन का इस क्षेत्र में योगदान का इतिहास 1920 से भी पहले का है, जब उसने 'देसी' श्रमिकों के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठायी। 1950 के बाद से आइएल्ओ ने स्पष्ट तौर पर देशज श्रमिकों के हितों की सुरक्षा हेतु संघर्ष आरंभ किया और वर्ष 1957 में देशज तथा आदिवासी जनसंख्या समझौते को (107) अपनाया, जो इस प्रकार की पहली अंतरराष्ट्रीय संधि थी।

अगले तीन दशकों में विश्व भर के देशज लोगों ने अपनी आवाज़ को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए इकट्ठे होना आरंभ कर दिया है। 1970 के दौरान संयुक्त राष्ट्र तथा सहयोगी संगठनों द्वारा देशज लोगों के प्रति अपने वर्ताव का पुनरीक्षण किया, जबाब में 1989 में आइएल्ओ द्वारा एक नया देशज तथा जनजातीय लोगों पर समझौता (न.169) अपनाया गया। इस समझौते के बो मुख्य उद्देश्य थे - देशज लोगों को उत्कृष्ट श्रम के लिए अवसर उपलब्ध कराना और उनकी अद्वितीय संस्कृति को सुरक्षा प्रदान करना।

आइएल्ओ देशज लोगों के लिए दो तरह से कार्य करता है। देशज जनजातीय लोगों पर आइएल्ओ नीति को उन्नत करने हेतु परियोजना (पीआरओ 169) समझौता न. 169 धोषित किये गये सिद्धांतों को सरकारी व्यवहार में समेकित करने के लिए नीतिगत स्तर पर कार्य करती है। इसके अतिरिक्त पी आर ओ 169

विभिन्न देशज समुदायों में परस्पर संवाद को बढ़ावा देती है और समझौता 169 के प्रति समझ और चेतना के स्तर का विकास करती है। परियोजना के अंतर्गत सभी संवैधित पक्षों की राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामर्थ्य-निर्माण हेतु कई पहलें की जाती हैं।

वर्ष 2006 में, पीआरओ 169 वांग्लादेश, बोलिविया, बुर्किना, फासो, बुरुंडी, कंबोडिया, कैमरून, कॉन्गो, गाटेमाला, हॉन्दुरास, भारत, कीनिया, मोरक्को, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू, फिलीपीन्ज़ तथा रूसी गणराज्य में विशेषकर सक्रिय थी। यह आइएल्ओ परियोजना अफ्रीकी मानव तथा जन अधिकार आयोग द्वारा अफ्रीका में देशज तथा आदिवासी लोगों की सुरक्षा हेतु कानूनों के विश्लेषण में सहायता करती है। विभिन्न देशज समुदायों की संस्कृतियों, अपेक्षाओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप आर्थिक विकास तथा उत्कृष्ट श्रम पर पहलों द्वारा आइएल्ओ-इंडिस्को कार्यक्रम पीआरओ 169 कार्य का अनुप्रकरण है। 2006 में इंडिस्को कंबोडिया, कीनिया तथा फिलीपीन्ज़ में सक्रिय रहा।

हाल के वर्षों में, देशज समुदायों की महिलाओं ने आइएल्ओ तथा अंतरराष्ट्रीय समुदाय का अधिकारिक ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। 1999 में आइएल्ओ के महा-निदेशक हुआन सोमाविया ने लैंगिक समानता तथा मुख्यधारा पर नीति की धोषणा की, जिससे देशज लोगों के हित में कार्य समेत सभी आइएल्ओ कार्यक्रमों में महिलाओं को अधिक आवाज़ मिली।

श्रम में समानता

उसे संभव बनाना



© , e- Dist@vib, vvb

का

यस्थल पर भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष में विजय प्राप्त करने के लिए आवश्यक है विभिन्न पक्षों द्वारा संयुक्त प्रयास; राष्ट्रीय सरकारों द्वारा कानूनों का निर्माण तथा उनका क्रियान्वयन; अंतरराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों द्वारा विभिन्न नियमों की सुसंगति और सर्वोत्तम व्यवहारों का प्रसारण; वैश्वक रिपोर्ट की तैयारी सामाजिक भागीदारों एवं उद्यमों द्वारा समता के लक्ष्यों का अनुमोदन। आईएलजो के वरिष्ठ भेदभाव विशेषज्ञ मन्युएला ट्रोमेर्झ वैश्वक रिपोर्ट सामग्री एकत्र करने के दौरान सामने आये कुछ तथ्यों का बयान करते हैं। यह लेख मरीष कॉफी के सहयोग से तैयार किया गया था।

* पहचान को गोपनीय रखने के लिए इस आलेख में नाम बदल दिये गये हैं।

सोफिया - रोमा समुदाय के एक सदस्य बुल्गारिया के जॉर्ज ने एक निजी कंपनी में नौकरी के लिए अर्ज़ी भेजी। अपने

आवेदन पत्र में उसने अपने मूल उद्भव का वर्णन नहीं किया था। लेकिन साक्षात्कार के दौरान उसे हतोत्साहित किया गया। कई हफ्तों के बाद बिना कोई साफ-सफाई देते हुए उसे बताया गया कि वह साक्षात्कार में असफल हो गया है। वह इसके खिलाफ कोर्ट में चला गया। हालांकि कंपनी ने तर्क दिया कि नौकरी के ना मिलने का कारण उसका उद्भव कर्तव्य नहीं था और वह यह सिद्ध नहीं कर सकी कि समान अधिकारों के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं किया गया था। सोफिया ज़िला न्यायालय के अनुसार सारे पारिस्थितीकीय साक्ष्य इस बात का प्रमाण हैं कि उसका उद्भव ही उसे नौकरी न मिलने का मुख्य कारण था। जॉर्ज को बुल्गारिया के भेदभाव विरोधी कानून के तहत पूरा मुआवज़ा प्रदान किया गया।

इस ऐतिहासिक निर्णय द्वारा बुल्गारिया में पहली बार भेदभाव की पहचान अनुमान द्वारा की गयी, उस विशेष नियम के अंतर्गत जिसके अनुसार तथाकथित पीड़ित को भेदभाव को प्रमाणित नहीं करना पड़ता बल्कि अभियुक्त व्यक्ति अथवा उद्यम को सिद्ध करना पड़ता है कि उसने भेदभाव नहीं किया। यूरोपीय संघ राज्यों के कानूनों में यह उलट-फेर हाल ही में किया गया है, क्योंकि यूरोपीय निदेश 2000/43/ईसी ने नस्ल या उद्भव को ध्यान में न रखते हुए सबके साथ बराबर व्यवहार के सिद्धांत को लागू किया था, और यूरोपीय निर्देश 2007/78/ईसी के अनुसार धर्म, आयु, अशक्तता तथा लैंगिक अभियुक्ता को ध्यान में न रखकर रोज़गार में बराबर व्यवहार अनिवार्य हैं। प्रमाण-संबंधी नये सिद्धांत से व्यक्तिगत भेदभाव के मामलों का कानूनन निपटारा आसान हो जाएगा। यह सिद्धांत मानता है कि वादी के लिए उसके विरुद्ध गैर कानूनी व्यवहार का प्रमाण प्रस्तुत करना कठिन होता है और नियोक्ता पर निष्पक्ष व्यवहार सिद्ध करने का दायित्व डालता है।

कानून : भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष में एक अत्यावश्यक कदम

जॉर्ज का मामला भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष में ठोस कानूनों का महत्व उजागर करता है। कार्यस्थल पर समानता सुनिश्चित करने हेतु सुसंगत एवं व्यापक भेदभाव-विरोधी कानून अनिवार्य हैं। ऐसे कानून न केवल सरकारों की समानता के

लक्ष्य के प्रति वचनबद्धता दर्शाते हैं, बल्कि इस लक्ष्य की प्रा. प्ति में मार्गदर्शन करते हैं और इसका पालन न करने की कीमत भी निर्धारित करते हैं। राष्ट्रीय नियंत्रण प्रणालियां राष्ट्रीय विधि परंपराएं एवं राष्ट्रीय परिस्थितियां व अकांक्षाएं प्रतिविवित करती हैं। औद्यौगिक देशों में ऐसे समेकित कानून अपनाने की प्रवृत्ति है जो कई आधारों पर भेदभाव का निषेध करते हैं। कई यूरोपीय संघ देशों ने हाल ही में अपने राष्ट्रीय कानूनों में उपरोक्त निर्देशों का आवर्तन किया है। जैसा कि कई अफ्रीकी देशों में देखा गया है, विकासशील देशों में एचआइवी/एड्स - आधारित भेदभाव जैसे महत्वपूर्ण मुद्रदों पर, तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता के मद्देनज़र, विशिष्ट कानून बनाने पर बल दिया जाता है।

भर्ती-भाँति अवगत श्रम न्यायालय तथा श्रम पर्यवेक्षक

लेकिन कार्यस्थल पर भेदभाव से जूझने के लिए केवल कानून ही काफी नहीं हैं। आम जनता और विशिष्ट व्यक्तियों एवं समूहों, जैसे न्यायाधीशों, श्रम पर्यवेक्षकों, श्रमिकों तथा नियोक्ताओं में इन कानूनों की समझ सुनिश्चित करना, उनके पालन तथा कार्यान्वयन में निर्णायक है।

मानव अधिकारों एवं समानता के क्षेत्रों में कार्यरत विशिष्ट संस्थानों के साथ-साथ श्रम न्यायालय भी भेदभाव-विरोधी कानूनों के क्रियान्वयन तथा पर्यवेक्षण में आमतौर पर बराबर ज़िम्मेदार होते हैं। न्यायालय न केवल व्यक्तिगत मामलों पर सुनवाई करते हैं, भेदभाव हुआ है तो उसके कानूनी परिणाम

निर्धारित करते हैं, बल्कि अपने फैसलों द्वारा वे राष्ट्रीय कानूनों का विकास एवं दृष्टिकरण करते हैं।

इस संबंध में भारत में विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का मामला एक मील का पत्थर सावित हुआ। उस अवसर पर पहली बार भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न को महिलाओं के मानवाधिकार का उल्लंघन मानते हुए उससे बचाव तथा क्षतिपूर्ति पर निर्देश दिये। इससे यौन उत्पीड़न की कानूनी परिभाषा में एक ज़बरदस्त बदलाव आया, इससे पूर्व उसे केवल छेड़छाड़ का मामला माना जाता था। इस निर्णय ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रति प्रचलित सामाजिक उदारता - इस आधार पर कि महिलाओं की सार्वजनिक स्थानों पर उपस्थिति उत्तेजक होती है और पुरुष हिंसा को जन्म देती है, को चुनौती दी। श्रम निरीक्षक सेवाएं कार्यस्थलों पर अधिक समानता लाने में काफी मदद कर सकती हैं। श्रम निरीक्षक संस्थानों का निरीक्षण कर सकते हैं, गोपनीय जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसके पहले कि भेदभाव से कोई तथाकथित पीड़ित शिकायत करे, कानून पालन की स्थिति मालूम कर सकते हैं। वे मामले अदालत में ले जा सकते हैं और किसी अन्य पक्ष द्वारा चलायी गयी अदालती कार्रवाई में हस्तक्षेप कर सकते हैं। तकनीकी सलाह द्वारा वे भेदभाव के मामलों में बचाव तथा क्षतिपूर्ति में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

ब्राजील के नूकिलआस के अनुभव ध्यान देने योग्य हैं (देखें वॉक्स)।

¹ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oi/2000/L_303/I_30320001202en00160022.pdf

>>

रोमा अल्पसंख्यक समुदाय संपूर्ण मध्य तथा पूर्वी यूरोप में भेदभाव का शिकार है। पेस्ट की एक सड़क पर रोमा समुदाय का एक व्यक्ति।



>>

ब्राज़ील में समान अवसरों को प्रोत्साहन : नूकिलआस से क्या सीखा जा सकता है?

रो

ज़गर तथा व्यवसाय में भेदभाव से सुरक्षा केंद्रों, जिनको नूकिलआस के नाम से जाना जाता है, की स्थापना ब्राज़ील के श्रम मंत्रालय द्वारा आइएलओ के सहयोग से 1995 में की गयी। इनकी ज़िम्मेदारी है भेदभाव संबंधी शिकायतें सुनना, उनकी जांच करना और जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्य करना। कुछ खामियों के बावजूद, विशेषकर आरंभ के वर्षों में, नूकिलआस उद्यमों के साथ संवाद स्थापित करने तथा विश्वविद्यालयों

तथा गैर सरकारी संस्थानों के साथ आशाजनक भागीदारी विकसित करने में सफल रहे। आइएलओ के तकनीकी सहयोग द्वारा नूकिलआस की कार्यविधि में कई बदलाव लाये गये। 2006 में भेदभाव तथा समानता मुद्रों पर एक विशेष सलाहकार यूनिट की स्थापना की गयी। यह यूनिट अपनी रिपोर्ट्स सीधे मंत्रालय के कार्यकारी सचिव को भेजती है। इस प्रकार इन मुद्रों पर विचार का स्तर ऊंचा हो गया है।

कानूनी तरीकों से कहीं आगे

भेदभाव से निवटने में कानून के अलावा और भी तरीके कारण हो सकते हैं। समानता आयोग या आमबुड़ज़पर्सन जैसी विशेषज्ञताप्राप्त संस्थाओं का निर्माण और विकास इसके साक्षी हैं। समानता को प्रोत्साहन देने के लक्ष्य के साथ ये संस्थाएं एक आधार या एक से अधिक आधारों से निवट सकती हैं। इस प्रकार की बहु-आधार संस्थाएं (जिनकी संख्या औद्योगिक देशों में अधिक है) ऐसे लोगों की अधिक प्रभावी ढंग से सहायता कर सकती हैं जो कई तरह के भेदभाव से पीड़ित हैं; उन क्षेत्रों से जहां कानून एवं नीतियां अधिक विकसित हैं, जानकारी का 'नये' क्षेत्रों में स्थानांतरण आसान कर सकती है और स्टाफ तथा अन्य संसाधनों का अधिक किफायती ढंग से इस्तेमाल सुनिश्चित कर सकती हैं। इन संस्थाओं की सबसे बड़ी कमी यह है कि ये किसी खास आधार पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकती, जिस कारण

उनकी समग्र कार्यसाधकता शिथिल हो जाती है। इसके अलावा इनको भेदभाव से प्रभावित बड़े समूहों के साथ काम करने में कठिनाई होती है, विशेषकर तब जब संसाधन अपर्याप्त होते हैं।

इन संस्थानों की शक्तियां भी देश तथा काल के साथ भिन्न होती हैं। शक्तियों में शामिल हैं : समानता के कानूनों और उपलब्ध समाधानों पर सूचना अभियानों को प्रोत्साहित करना, मानव संसाधन प्रबंधकों तथा सरकारी अधिकारियों के लिए आवश्यक सूचियों तथा मार्गदर्शिकाओं का विकास करना और राष्ट्रीय समानता नीतियों के विकास में सहयोग देना। इनके अलावा वे शिकायतें भी ग्रहण कर सकती हैं, खुद पहल करते हुए जांच-पड़ताल कर सकती हैं तथा अनुशंसाएं जारी कर सकती हैं। (देखें वॉक्स)

विशेषज्ञताप्राप्त समानता शाखाएं : समानता तथा भेदभावहीनता के प्रति प्रोत्साहनपूर्ण रवैया

2 001 के बाद से स्वीडन में आमबुड़ज़पर्सन सूचना एवं प्रशिक्षण द्वारा सामाजिक भागीदारों को समान अवसर अधिनियम के तहत अपने उत्तरदायित्व निभाने में मदद कर रहा है। हांगकांग, चीन, के समान अवसर आयोग द्वारा जांच के बाद हांगकांग ज़िला न्यायालय द्वारा तीन व्यक्तियों को मुआवज़ा दिलाया, जिन्हें या तो नौकरी देने से मना कर दिया या निकाल दिया गया, इस अधार पर कि कि उनके अभिभावक खंडित मनस्कता के शिकार हैं। आयोग द्वारा तीनों की परिवारिक जांच के बाद पाया गया कि इन तीन व्यक्तियों की बर्खास्तगी या उनको नौकरी देने से इन्कार का संबंध उनकी परिवारिक पृष्ठभूमि से था और उन्हें अनुवांशिकी भेदभाव का मामला दर्ज करने की अनुमति दे दी गयी। (द गार्जियन, 1 अक्टूबर, 2000)।

कनाडा में ओन्टारियो मानव अधिकार आयोग द्वारा ऐसी नीति विकसित की गयी, जिससे कार्यस्थलों पर धार्मिक आवश्यकताओं - जैसे कि कार्यदिवस के दौरान विशेष समयों पर प्रार्थना या विशेष प्रकार के वस्त्र पहनना - और कार्यस्थल पर स्थापित दस्तूर के बीच उत्पन्न होने वाले संभावित तनाव का शमन किया जा सके।

मेक्सिको में 2003 में राष्ट्रीय भेदभाव निरोधी परिषद के तत्वावधान में भेदभाव से निवटने के लिए प्रथम राष्ट्रीय सार्वजनिक नीति आवर्तित की गयी। यह संस्थान एक ऐसी विधि का विकास कर रही है, जिससे भेदभाव का आकलन किया जा सके और तदनुरूप सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित किया जा सके।

सामाजिक साझेदारों की मुख्य भूमिका

नियोक्ता तथा श्रमिक संगठन समीकरण का एक अन्य केंद्रीय भाग है। कानून में कितने भी बदलाव आएं, और उसे कितनी भी अच्छी तरह लागू किया जाये, अधिक प्रगति की अपेक्षा नहीं की जा सकती यदि इस सारी प्रक्रिया में सामाजिक भागीदारों का यथोचित समावेश नहीं होता।

श्रमिक संघ तथा उद्यम कार्यस्थलों पर क्लेशों, विशेषकर कार्य तथा परिवार के बीच तनाव से निवटने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। औद्योगिक तथा विकासशील देशों तथा अंतर्वर्ती अर्थव्यवस्था में भी श्रम तथा देख-रेख की ज़िम्मेदारी के बीच समन्वय हो गया है। कार्य के लंबे घंटे तथा उसका तीव्रीकरण तथा पुरुषों तथा महिलाओं दोनों के लिए जीविका अर्जित करने की आवश्यकता ने यह ज़रूरी कर दिया है कि ऐसी विधि अपनायी जाये, जिससे वे श्रमिक, जिनके ऊपर पारिवारिक ज़िम्मेदारियां हैं, वेतन के लिए काम करने के साथ-साथ वे अपने परिवारों की भी देखरेख कर सकें।

बैंकों, थाइलैंड में टॉट, पीएलसी तथा श्रमिक संघ साझा खर्चों पर शिशु संरक्षक केंद्र खोलने पर सहमत हो गये। कंपनी ने केंद्र के लिए स्थान उपलब्ध कराया, श्रमिक संघ शिक्षिकाओं को वेतन देता है, तथा अभिभावक बच्चों के लिए कंबल, डायपर्स और दूध तथा पानी की बोतलें लाते हैं।

नियोक्ता तथा श्रमिक संगठनों के पास कार्य-परिवार समस्या समाधान के लिए एक अन्य माध्यम है सामूहिक सौदा। हालांकि इस तरह के तरीके औद्योगिक देशों में आम देखने को मिलते हैं, लातिनी अमरीका में भी प्रगति आरंभ हो गयी है। वहां पैतृत्व अवकाश या शिशु संरक्षण प्रवंधों पर सामूहिक समझौते राष्ट्रीय कानूनों के प्रावधानों से कहीं आगे जाते हैं।

नैगमिक सामाजिक ज़िम्मेदारी

उद्यम नैगमिक सामाजिक ज़िम्मेदारी के अंतर्गत पहलों द्वारा समानता तथा भेदभावहीनता के सिद्धांत को व्यावहारिक रूप देने में भी सहयोग करते हैं। प्रबंधन द्वारा इनका अनुमोदन तथा कंपनी की नीति तथा व्यवहार में इनके सन्निहित हो जाने से विभिन्न कार्यस्थल स्थापित करने में मदद मिलती।

उदाहरण के तौर पर, आईबीएम पहली अमेरिकन कंपनी थी, जिसने यह नीति अपनायी है कि लैंगिक अभिमुखता पर ध्यान ना देकर सबके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। उस समय से लेकर कई उपाय अपनाये गये हैं, जिनमें एक समर्पित पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं के साथ एक ऐसे वैशिक संसाधन की स्थापना है, जिसका काम-आईबीएम् द्वारा की गयी अल्पसंख्यक आपूर्तकों को प्रोत्साहन देने की पहल के अंतर्गत - समलैंगिक आपूर्तकों की पहचान करना है। वर्ष 2002 में कंपनी ने विभिन्न नता पर अपनी अमरीकन तथा वैशिक नैगमिक नीति वक्तव्य में लैंगिक अभिमुखता को स्थान दिया।

हालांकि यह प्रगति में एक महत्वपूर्ण कदम है, आईबीएम् के सामने उन देशों में जहां सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा राष्ट्रीय कानून भिन्न-भिन्न हैं, अपनी नीति को विश्व स्तर पर व्यवहार में लाने की चुनौती है।

अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में बहुविध भेदभाव

अनौपचारिक अर्थव्यवस्था जो भेदभाव विरोधी कानूनों तथा संस्थाओं के कायक्षेत्र से बाहर होती है - में वह अधिक प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है।

इसके अलावा एक दुष्क्र में भेदभाव अधिकतर निर्धनता को बढ़ाता या स्थायी कर देता है और निर्धनता भेदभाव को और अधिक फैला देती है।

और वे लोग जो कई तरह के भेदभाव, जैसे रंग, आयु तथा शारीरिक अक्षमता पर आधारित भेदभाव से पीड़ित हैं, बहुधा सबसे ग्रीव होते हैं। उन संस्थागत तथा नीतिगत रुकावटों, जिनके कारण वे लोग जो केवल इसलिए कि वे ग्रीव हैं, बल्कि इसलिए भी कि वे भिन्न प्रकार के भेदभाव के शिकार हैं, पूँजी तथा उत्पादक साधन नहीं प्राप्त कर सकते - को हटाना भेदभाव दूर करने का एक प्रभावी तरीका है।

एक उल्लासजनक कहानी है पूर्वी अफ्रीका के गृहयुद्ध में धायल हुई और इस समय स्थानीय बाज़ार में छोटी सी दूकान चला रही लेटेंसिया की। वे बताती हैं, 'मेरा सपना है एक अच्छा व्यापारी और एक अच्छा पेशेवर व्यवसायी बनना। इसीलिए मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखने का निश्चय किया। मैं जो भी काम कर रही हूँ, वह मुझे सचमुच पसंद है। मेरा काम ही मेरा जीवन है।'

लेटेंसिया का सपना आइएलओ के तकनीकी सहयोग परियोजना 'विकलांगता की शिकार महिलाओं में उद्यम का विकास' से साकार हो पाया। यह खासतौर पर पूर्वी अफ्रीका में गृहयुद्ध के कारण अक्षम हुई महिलाओं की सहायता के लिए है। परियोजना स्थानीय गैर सरकारी संगठनों तथा लघु वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से लघु-उद्यम कौशल के प्रशिक्षण के साथ-साथ व्यापार आरंभ करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

कार्यस्थल भी एक युद्ध का मैदान है जहां समाज में व्याप्त भेदभाव के खिलाफ जंग लड़ी जाती है। यह भेदभाव तब तक चलता रहेगा जब तक रुद्धिवादी धारणाओं तथा पूर्विग्रहों को समाप्त नहीं किया जाता।

समाज के समस्त साझेदारों को अविलंब भेदभाव की सर्वव्यापकता तथा उसकी कीमत के बारे में जागरूकता विकसित करने तथा उससे निवटने के तरीके ढूँढ़ने हेतु मिलकर प्रयत्न करने होंगे।



© Oxfam India

कार्यस्थल पर आरएफआइडी तथा निगरानी



हे

डियो फ्रीकर्वेसी आइडेंटिफिकेशन माइक्रोचिप्स - यानी आरएफआइडी (रेडियो तरंगों द्वारा पहचान के अतिसूक्ष्म उपकरण) - का इस्तेमाल शीघ्रता से

वैश्विक महत्व का विषय बन रहा है। ऐंडु बिबी श्रमिकों की निगरानी तथा जांच में उसके निहितार्थों पर रोशनी डालते हैं।

जेनेवा - संभार-तंत्र में आरएफआइडी द्वारा हर घोषित माल के संचलन और स्थिति पर नज़र रखी जा सकती है। आरएफआइडी चिप्स नज़र रखने के लिए लगायी जाती हैं और वध के बाद मांस के संचलन और स्थिति के पर्यवेक्षण हेतु इस्तेमाल की जाती हैं। सार्वजनिक परिवहन में, आरएफआइडी युक्त पूर्व-भुगतान, कार्ड, जैसे हांगकांग में ऑक्टोपस कार्ड अधिक से अधिक इस्तेमाल किये जा रहे हैं। इसके अलावा ऐसे कार्ड छोटे-मोटे भुगतान करने के लिए काम में लाये जा रहे हैं। संभावना व्यक्त की जाती है कि शीघ्र ही खुदरा व्यापार में हर उत्पाद पर आरएफआइडी चिप लगाई जायेगी और बार कोड विधि समाप्त हो जायेगी। आमतौर पर व्यापार में परिसंपत्ति पर निगरानी संचलन और सामान संग्रह नियंत्रण इन चिप्स द्वारा अत्यंत

कुशलतापूर्वक हो सकता है। किसी भी व्यापार में आरएफआइडी चिप्स जहां माल-मता तलाश सकते हैं वहाँ एक नियंत्रण भी कायम रख सकते हैं। (1)

आरएफआइडी द्वूले से लेकर कब्र तक में इस्तेमाल किया जा सकता है। कई प्रसूति अस्पताल आरएफआइडी को नवजात शिशु की कलाई पर ब्रेसलेट के तौर पर पहना देते हैं, और कई वृद्धाश्रम विक्षिप्त व्यक्तियों की निगरानी ऐसी चिप्स द्वारा कर रहे हैं। एक कंपनी तो ऐसी है जो कब्र में शवों को रखने के लिए मृतक की इच्छानुसार चिप्स निर्मित करती है।

आखिर यह प्रतीयमानतः सर्वव्यापी तकनीक क्या है? हरेक आरएफआइडी टैग एक माइक्रोचिप होता है, जो कई बार तो चावल के दाने के बराबर होता है। इस माइक्रोचिप पर धारक के बारे में डेटा अंकित होता है। टैग पर ऐंटीना लगा होता है, जो आरएफआइडी रीडर को अपेक्षित सूचना भेजता रहता है। आमतौर पर आरएफआइडी थोड़ी दूरी पर ही इस्तेमाल होते हैं। उदाहरणतः हांगकांग में ऑक्टोपस कार्ड-धारक रेलगाड़ियों में प्रवेश पा सकते हैं। साथारणतया, आरएफआइडी टैग निष्क्रिय रहते हैं और रीडर द्वार 'जगाए' जाने पर ही काम आरंभ कर

¹ 'अत्याधुनिक खुदरा व्यापार तकनीकों के अधिकाधिक इस्तेमाल के सामाजिक एवं श्रम निहितार्थ,' आइएलओ, जेनेवा, 2006

देते हैं, हालांकि सूक्ष्म बैटरी-युक्त सक्रिय टैग भी प्राप्त हैं।

यह तकनीक विवाद में तब फंसती है जब इसका इस्तेमाल कार्यस्थल पर होता है। मुख्य मुद्रा है कि नियोक्ता अपने श्रमिकों की गतिविधियों पर खुले तौर पर या गुप्त रूप से इस तकनीक द्वारा निगरानी रख सकते हैं। कई राष्ट्रीय श्रमिक संघों और यूनियन नेटवर्क इंटरनैशनल (यूएनआई) महासचिव फ़िलिप जेनिंग्स के संगठन ने इस पर चिंता व्यक्त की है। यूएनआई ने हाल ही में कार्यस्थल पर इतेक्ट्रोनिक निगरानी के प्रति ध्यान आकर्षित किया। श्री जेनिंग्स के अनुसार, ‘आरएफआइडी का अर्थ है कि कार्यस्थल पर आप व्यक्तिगत तौर पर कभी भी अपने को आज़ाद महसूस नहीं कर सकते - लंच ब्रेक या खाली समय में भी।’

श्रमिक संघों के अनुसार आरएफआइडी से विल्कुल वीडियो मॉनिटरिंग और ई-मेल मॉनिटरिंग की तरह ही कार्यस्थल पर श्रमिकों की निजी गोपनीयता के मुद्रे खड़े होते हैं। श्रमिक संघों की इस विषय पर चिंता के पीछे कितनी सच्चाई है? आरएफआइडी का वह उपयोग जिसको सबसे बड़ी सुर्खियां दी गयी हैं वह है चिप्स का मानव त्वचा के नीचे आरोपण ताकि जहां कहाँ भी ऐसा चिपयुक्त व्यक्ति हो उसकी गतिविधियां हर वक्त किसी की नज़र के नीचे रहें। यह सब साइंस-फिक्शन जैसा लगता है, परंतु ऐसा कुछ मामलों में वास्तविकता का रूप धारण कर चुका है।

उदाहरण के लिए एक नाइटक्लब अपने सदस्यों को आरएफआइडी-चिप्स लगवाने के लिए आमंत्रित करता है, ताकि वे क्लब में आसानी से प्रवेश पा सकें। लोगों के चिकित्सकीय इतिहास को रिकॉर्ड करने के लिए त्वचा के नीचे चिप्-आरोपण को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि आपातकाल में चिकित्सक यह जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकें। परंतु कार्यस्थल के संदर्भ में श्रमिकों पर ऐसे आरोपण इस समय असाधारण ही हैं। एक उदाहरण जो बहुधा दिया जाता है, वह मेविक्सों से है, वहां के महान्यायिवद् के कार्यालय के 18 अधिकारियों ने स्वेच्छा से चिप्स को अपने भीतर लगवाया, ताकि वे प्रतिबंधित क्षेत्रों में भी आसानी से प्रवेश पा सकें।

कम विख्यात परंतु कहीं अधिक व्याप्त और बढ़ती हुई प्रवृत्ति है आरएफआइडी-चिप्स को कर्मचारियों की वर्दियों पर लगाये जाना। औद्योगिक सूचों के अनुसार एक कंपनी ने अकेले ही दो करोड़ टैग्स बेचे हैं, ये चिप्स न तो धुलाई में, अधिक तापमान पर और न ही प्रेस करने पर ख़राब होते हैं। प्रदायकों का विश्वास है किसी दिन आरएफआइडी एंटीना को धागे की तरह कपड़े में बुनना संभव हो सकेगा।

लास वेगास के एक उदाहरण में एक कैसीनो प्रबंधक ने अपने कर्मचारियों के कपड़ों में लगे चिप्स द्वारा उनकी गतिविधियों की निगरानी की, और एक कर्मचारी को समय बर्बाद के लिए दंडित किया। परंतु इसी उद्योग से अन्य उदाहरण हैं, जहां इन चिप्स का उपयोग संतोषजनक ढंग से किया गया। सिडनी के विशाल स्टार सिटी कसीनो कॉम्प्लेक्स में जब आरएफआइडी टैग वर्दियों में लगाये गये तो आरंभ में कर्मचारियों ने इस पर क्षोभ व्यक्त किया था, लेकिन बाद में मामला शांत हो गया।


लिक्र, हॉस्पिटैलिटी ऐंड मिसलेनियस यूनियन (एलएचएमयू) नामक संघ ने कहा कि चूंकि वर्दियां परिसर के बाहर नहीं पहनी जातीं, कर्मचारियों पर काम के बाद निगरानी का कोई ख़तरा नहीं है। श्रमिक संघ के अनुसार कैसीनो में पहले से निगरानी के लिए सैकड़ों कैमरे लगे हुए हैं।

सामान्यतः नियोक्ता धुलाई के प्रबंधन हेतु वर्दियों में आरएफआइडी टैग लगाते हैं। पहले ही जो कपड़े व्यावसायिक तौर पर धाये जाते हैं, उन पर पंपरानुसार अक्षर-संख्या या बार कोड के टैग टांक दिये जाते हैं। आरएफआइडी टैग उन टैग्स का एक विकसित रूप है।


तथापि, अविवादित प्रयोजनों हेतु शुरू किये गये आरएफआइडी टैग्स बाद में अन्य कार्यों विशेषकर कर्मचारियों की गतिविधियों पर निगरानी के लिए इस्तेमाल किये जा सकते हैं। आरएफआइडी का इस्तेमाल अधिकतर कार्यस्थल पर श्रमिकों के नाम के बैज और प्रवेश पास के रूप में किया जाता है। प्रवेश पास में गड़े चिप में दर्ज हुए आंकड़ों का अधिक व्यापक स्तर पर उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक आईटी कंपनी ऐसे सॉफ्टवेयर का विज्ञापन दे रही है जो प्रवेश तंत्र के आंकड़ों के साथ कई अन्य प्रकार की सूचनाओं - जैसे हाज़री, गैर हाज़री, ओवरटाइम और नियत समय से पहले कार्यस्थल से प्रस्थान - का समाकलन करता है। ये समाकलित आंकड़े कर्मचारी की तनख्याह इत्यादि से संबंधित रिकॉर्ड्स के साथ आसानी से समाहित किये जा सकते हैं।

अमरीका में रैंड (आरएएनडी) नामक कॉर्पोरेशन द्वारा एक सर्वेक्षण में पाया गया कि नियोक्ता इस प्रणाली का व्यापक इस्तेमाल कर रहे हैं। रैंड ने अमरीका के छह संगठनों का अध्ययन किया, जिसमें पाया कि वे सभी प्रवेश प्रणाली आंकड़ों को अन्य प्रणालियों से प्राप्त सूचनाओं के साथ जोड़ रहे थे। रैंड शोधकर्ताओं के लिए सबसे अधिक चिंता का विषय था। ये सारे डेटा किस प्रकार इस्तेमाल हो सकते हैं, इस पर स्पष्ट लिखित नीतियां नहीं हैं, और न ही कर्मचारियों को अपनायी गयी नीतियों के बारे में बतलाया जाता है। आगे चलकर रिपोर्ट एक अधिक सारगम्भित बात कहती है : ‘ऐसी प्रणालियों के इस्तेमाल ने व्यक्तिगत सुविधा, कार्यस्थल सुरक्षा और निजता के बीच पारंपरिक संतुलन में परिवर्तन कर दिया है, जिससे व्यावहारिक विस्मृत का लोप हो रहा है। ये प्रणालियां सूचना व्यवहारों के अर्थ एवं

>>



© JG



© ICMLI

>> क्रियान्वयन के लिए भी चुनौतियां हैं।'

रैंड के सर्वेक्षकों ने जो कुछ भी ढूँढ़ निकाला, उससे वे आश्चर्य चकित रह गये। उनके अध्ययन के अनुसार कोई भी कर्मचारी जिसके पास आरएफआइडी-आधारित प्रवेश कार्ड है परेशान हो जाए यदि वह अपने बारे में रिपोर्ट पढ़ सके।

ऐसा प्रतीत होता है कि कई मामलों में यह 'आंकड़ा-संचयन' नियोक्ताओं द्वारा जानबूझकर नहीं किया जाता। हो सकता है केवल उन सुविधाओं का उपयोग कर रहे हों जो उनके द्वारा गृहित सॉफ्टवेयर से अपने-आप प्राप्त हो जाती हैं। बहरहाल यूएनआई के फिलिप जेनिंग्स कहते हैं कि इस पर यूनियन को

ध्यान देना चाहिए। वे कहते हैं कि 'कई श्रमिकों के लिए यह अनुभूति कि नियोक्ता उनकी गोपनीय निगरानी कर रहा होगा, सुखद नहीं होगी।' वे आगे कहते हैं, 'सूचना तकनीक द्वारा मानव क्षमता की निर्मुक्ति तथा एक ज्ञान-संपन्न समाज की संरचना तो दूर की बात है, कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि उसका उपयोग कार्यस्थल पर स्वतंत्र विचार एवं कार्य की क्षमता घटाने के लिए किया जा रहा है।'

वर्ष 2006 में यूएनआई ने कार्यस्थल पर आरएफआइडी के मामले पर उत्तम आचार संहिता प्रस्तुत की थी। (देखें बॉक्स)

आरएफआइडी उद्योग का कहना है कि लोगों को इस तकनीक के बारे में सही जानकारी नहीं है। वे कहते हैं कि 'कई श्रमिकों के लिए यह अनुभूति कि नियोक्ता उनकी गोपनीय निगरानी कर रहा होगा, सुखद नहीं होगी।' वे आगे कहते हैं, 'सूचना तकनीक द्वारा मानव क्षमता की निर्मुक्ति तथा एक ज्ञान-संपन्न समाज की संरचना तो दूर की बात है, कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि उसका उपयोग कार्यस्थल पर स्वतंत्र विचार एवं कार्य की क्षमता घटाने के लिए किया जा रहा है। आरएफआइडी उद्योग का कहना है कि लोगों में इस तकनीक को लेकर विंता अनुचित है, और जैसा कि बारकोड प्रणाली के साथ हुआ, जैसे-जैसे, आरएफआइडी के बारे में जानकारी बढ़ेगी, यह विंता दूर होती जायेगी। आरएफआइडी का बहुता हुआ इस्तेमाल उस समय हो रहा है, जब अन्य तकनीक बदलाव भी कर्मचारी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में विंता उत्पन्न कर रहे हैं। विशेषकर उपग्रह

कार्य के दौरान इलेक्ट्रॉनिक निगरानी

कई अन्य तकनीकी आयुक्तियों की तरह आरएफआइडी के भी श्रमिकों के लिए सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, जो उनके इस्तेमाल के तरीके पर निर्भर करते हैं। स्वीडन की एक खदान में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए 2003 से आरएफआइडी का इस्तेमाल हो रहा है। खदान में पहुंच के मार्मिक स्थलों पर 'रीफिंग' उपकरण लगाये गये हैं। श्रमिक जब ऐसे किसी उपकरण के क्षेत्र के अंदर होते हैं तो उनके आरएफआइडी टैग सक्रिय हो जाते हैं। जब खदान में कोई दुर्घटना हो जाती है तो रिकोर्डर श्रमिकों के नंबर और उनके अंतिम स्थल दर्शाते हैं, और दुर्घटनास्थल के निकट उपस्थित लोगों की चेतावनी हेतु सिग्नल भेजता है। यह तंत्र फंसे हुए श्रमिकों का स्थान इंगित करता है और बचाव कार्य को सुगम बनाता है। खदानों जैसे कार्यस्थलों में आरएफआइडी तकनीक जीवन-रक्षक साधित हो सकती है।

- दूसरी ओर जापानी नियोक्ताओं द्वारा अपने श्रमिकों के कौशल की निपुणता जांचने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल होता है। श्रमिक आरएफआइडी टैग धारण करने के लिए बाध्य होते हैं। इन टैग्स के आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता चल जाता है कि हर श्रमिक उत्पादन में कितना योगदान देता है। इस प्रणाली ने नियोक्ता तथा कर्मचारियों के बीच विश्वास के बारे में विंता को जन्म

दिया है। मुख्य मुद्रा है कि क्या नियोक्ताओं द्वारा ऐसी निगरानी के पीछे न्यायसंगत कारण हैं और क्या व्यक्तिगत आंकड़ों का ऐसा इस्तेमाल उसको प्राप्तलाभ के अनुरूप है?

- आइएलओ आचार संहिता, 'श्रमिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा, में निगरानी पर निम्नलिखित धाराएं शामिल हैं;
 1. यदि श्रमिकों की निगरानी की जा रही है, तो उन्हें इस बात का पहले से ही पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, उसके नियत समय क्या होंगे, उसकी तकनीके तथा तरीके क्या होंगे और किस प्रकार के आंकड़े एकत्रित किये जायेंगे, और नियोक्ता श्रमिकों की निजता में कम से कम दखल देगा।
 2. गोपीनीय निगरानी की जांच तभी मिलनी चाहिए यदि -
क. वह राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप हो या
ख. युक्तिसंगत आधारों पर आपराधिक गतिविधियों या गंभीर दुष्कार का संदेह हो।
 3. लगातार निगरानी की अनुमति तभी मिलनी चाहिए, जब वह स्वास्थ्य और सुरक्षा या संपत्ति के संरक्षण के लिए आवश्यक हो।



कानून या आत्म-नियंत्रण?


हु लांकि कई देशों में आंकड़ों की सुरक्षा के लिए कानून है, लेकिन आरएफआइडी के बढ़ते हुए इस्तेमाल पर उनकी अयुक्ति के बारे में स्पष्टता नहीं होती। और कई लोग चाहते हैं कि इस तकनीक द्वारा निगरानी तथा आत्म-नियंत्रण हेतु आचार संहिताएं तथा अन्य मानकों की संरचना की जानी चाहिए।

- वर्ष 1996 में श्रमिकों की निजता पर विशेषज्ञों, जिनको आइएलओ प्रबंधन समिति की स्वीकृति प्राप्त थी - की बैठक द्वारा आइएलओ आचार संहिता, 'श्रमिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा, को अपनाया गया। ये विशेषज्ञ आइएलओ की त्रिपक्षीय प्रणाली के अनुसार सरकारों, नियोक्ताओं तथा श्रमिक संगठनों से परामर्श द्वारा विशेषज्ञ नियुक्त किये गये। हालांकि आरएफआइडी का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, संहिता में निगरानी पर धारा सम्मिलित की गयी है। (दखें बॉक्स : कार्य के दौरान इलेक्ट्रॉनिक निगरानी)
- युरोपीय संघ में डेटा सुरक्षा मुद्रों पर विशेषज्ञ दल ने आरएफआइडी के निहितार्थों की जांच की। उनकी रिपोर्ट जनवरी 2005 में प्रकाशित हुई (आरएफआइडी से संबंधित डेटा सुरक्षा मुद्रे पर दस्तावेज, अनुच्छेद 29, डेटा सुरक्षा कार्य दल)। उसने निम्न सिद्धांतों की अनुशंसा की : प्रत्यक्षता; श्रमिकों को आरएफआइडी टैग्स पर अंकित डेटा जांचने और ठीक करने का अधिकार, निजता बढ़ाने वाली तकनीकों का इस्तेमाल, उदाहरण के लिए निष्क्रियता चाहियों का इस्तेमाल; उच्च-स्तरीय प्रश्नों के ब्यौरे की प्रत्यक्षता - डेटा नियंत्रक कौन है या डेटा क्यों इकट्ठा किया जा रहा है; रजामंदी न देने का अधिकार; व्यक्तिगत आंकड़ों की गोपनीयता। कार्य दल ने चिंता व्यक्त की कि आरएफआइडी की कुछ आयुक्तियां मानव प्रतिष्ठा तथा डेटा सुरक्षा अधिकारों का उल्लंघन कर सकती हैं। उसने

निष्कर्ष निकाला कि आरएफआइडी तकनीक द्वारा एकत्रित व्यक्तिगत डेटा साधारणतया डेटा सुरक्षा पर यूरोपीय निर्देश (95/46 ईसी) के तहत दायित्वों के दायरे में आते हैं।

- ट्रिनेन में सूचना आयुक्त कार्यालय (आईसीओ) ने एक तकनीकी दिशानिर्देश पत्र जारी किया है जिसमें आरएफआइडी तकनीक का संक्षिप्त विवरण दिया गया है तथा इस तथ्य पर गौर किया कि डेटा सुरक्षा अधिनियम 1998 किस प्रकार इस तकनीक के इस्तेमाल पर लागू होता है। अधिनियम वहीं लागू होगा जहां आरएफआइडी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग करके व्यक्तिगत आंकड़े एकत्र किये जाते, बनाये या प्रकट किये जाते हैं। और आरएफआइडी का उपयोग करने वालों को न्यायसंगत प्रक्रिया, सीमित प्रयोग, डेटा गुणवत्ता तथा सुरक्षा के सिद्धांतों की आवश्यकता पर ध्यान देना होगा। आईसीओ के अनुसार एक ऐसे संसार में जहां कंप्यूटर सर्वव्यापी है, सुरक्षा तथा निजता संरक्षण आरएफआइडी तंत्रों के आरंभ से ही अभिन्न अंग होने चाहिए, न कि उन्हें बाद में जोड़ा जाये।
- कार्यस्थल पर आरएफआइडी : यूएनआई उन्नत व्यवहार संहिता वर्ष 2006 में यूनियन नेटवर्क इंटरनैशनल द्वारा रचित की गयी थी। उसका उद्देश्य है यह निश्चित करना कि आरएफआइडी तकनीक का कार्यस्थल में आवर्तन अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के मान्य केंद्रीय मानकों, सर्वोत्तम डेटा संरक्षण कार्यस्थल पर डेटा संरक्षक सिद्धांतों तथा निजता के मौलिक मानव अधिकार के अनुसार हो। आरएफआइडी के कार्यस्थल पर उपयोग का लक्ष्य होना चाहिए श्रम वातावरण को बेहतर बनाकर उद्यमों तथा कर्मचारियों, दोनों को लाभान्वित करना।

द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान की जानकारी प्राप्त करने की प्रणाली (जीपीएस), मोबाइल फोन और वाइ-फाई कंप्यूटर द्वारा संचार के माध्यमों ने किसी व्यक्ति की गतिविधियों पर नज़र रखना आसान कर दिया है। यदि इनका सही इस्तेमाल किया जाये - उदाहरणस्वरूप घरों में जाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के संचालन के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु - ये तकनीकें कर्मचारियों की सुरक्षा उन्नत कर सकती हैं। परंतु बिना सोचे-समझे इनका इस्तेमाल कर्मचारियों में तनाव बढ़ा सकता है। जैसा कि जीपीएस निगरानी के तहत काम कर रहे एक अमरीकी ड्रा. इवर ने कहा, 'मुझे लगता है मैं हमेशा 'बड़े भाई' की नज़र के सामने हूं। अगर मुझे कॉफी की लाइन में कुछ देर हो जाए तो मैं घबरा जाता हूं। मैं जानता हूं कि मुझ पर निगाह रखी जा रही है और अब मुझे जाना चाहिए।'





श्रम के मुद्दों में नये विकास और प्रवृत्तियों का पुनरावलोकन


नौकरियों में भेदभाव

भर्ती में भेदभाव एक वैश्विक समस्या है। प्लैनेट वर्क के लिए विद्या रवि ने पता लगाया कि इस भेदभाव के स्थापित तथा नये रूप क्या हैं, तथा श्रमिकों, उनके अधिवक्ताओं, नियोक्ताओं तथा कानून निर्माताओं की इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं।

कई कंपनियां और भर्ती एजेंसियां भर्ती में नस्त, लिंग, जाति, रंग, आयु, पृष्ठभूमि, लैंगिक रुचि और यहां तक कि आनुवांशिकी रूपरेखा के आधार पर भी अप्रत्यक्ष रूप में भेदभाव बरतती हैं। कई कंपनियां तो नाम, जाति, लिंग और नस्त के आधार पर किसी के भी बायोडेटा को अस्वीकृत कर देती हैं, और कई तो भर्ती प्रक्रिया में बाकायदा एचआइवी टेस्ट तक करती हैं, और कई बार तो आनुवांशिकी टेस्ट भी। आखिर रेखा कहाँ खींचनी चाहिए?

किसी नियोक्ता को प्रार्थी की कितनी व्यक्तिगत सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, और वह इस सूचना के आधार पर किस हद तक किसी को काम पर रखने या न रखने का निर्णय ले सकता है?

भेदभाव के स्थापित रूप



Ottawa@Vid. 7745

वैवाहिक स्थिति और कद के आधार पर भेदभाव बरता जाता है। (नॉर्थईस्ट नेटवर्क, 8 जनवरी 2007)

■ रोज़गार में लैंगिक भेदभाव हमेशा से ही विद्यमान रहा है, परंतु अब कुछ राष्ट्रों ने महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून लागू कर दिये हैं। उदाहरण स्वरूप, चीन में श्रम कानून यह नियत करता है कि श्रमिकों से नस्त, जाति, लिंग या धार्मिक मान्यता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन दस बड़े शहरों जिनमें बीजिंग और शंघाई भी शामिल हैं की 3,424 प्रतिक्रियाओं में से 85 प्रतिशत के अनुसार कार्यस्थलों तथा रोज़गार में भेदभाव मौजूद है, और 58 प्रतिशत मानते हैं कि यह समस्या बहुत गंभीर है। क्योंकि कानून की धाराएं विस्तृत रूप से स्पष्ट नहीं हैं, कई कंपनियां कानून का उल्लंघन किए बिना भेदभाव पूर्ण भर्ती व्यवहार अपना सकते हैं। महिलाएं भेदभाव की विशेष रूप से शिकार होती हैं, उनसे उनकी शक्ति-ओ-सूरत,

■ किसी व्यक्ति की जातीय या नस्लीय पृष्ठभूमि पर आधारित भेदभाव इस प्रकार के व्यवहार का सबसे अधिक अभिज्ञात तथा व्यापक रूप है। वीबीसी के रेडियो 'फाइव लाइव' ने ब्रिटेन में भर्ती प्रक्रिया के दौरान भेदभाव के स्रोत तथा दिशा के निरूपण हेतु एक परीक्षण किया। उसने छह गोरे, काले तथा एशियाई उम्मीदवारों के नकली बायोडेटा 50 कंपनियों को भेजे। सभी प्रार्थियों की योग्यता और अनुभव विवरण एक जैसे रखे गये। इस परीक्षण के परिणामों ने यह प्रदर्शित किया कि गोरे 'उम्मीदवारों' को साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने की संभावनाएं अधिक थीं बनिस्पत उनके बराबर ही योग्यता प्राप्त वाले या एशियाई 'उम्मीदवारों' के। (वीबीसी न्यूज़, 12 जुलाई 2004)

■ नस्तवाद तथा विदेशी भांति पर यूरोपीय पर्यवेक्षण केंद्र (ईयूएमसी) के अनुसार रोज़गार में

भेदभाव की शुरुआत कंपनियों की भर्ती प्रक्रिया से होती है। फ्रांस में देशी मूल के पांच प्रतिशत जातिगत विश्वविद्यालय स्नातक बेरोज़गार हैं, जबकि उत्तरी अफ्रीकन मूल के 26.5 प्रतिशत विश्वविद्यालय स्नातक बेरोज़गार हैं। ईयूएमसी के निदेशक बियेटे विंक्टर कहते हैं, 'यह भर्ती की प्रक्रिया में भेदभाव के कारण है। फ्रेंच नामों के लोगों के मुकाबले मगरबी नामों के लोगों की साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने की संभावनाएं पांच गुना कम हैं।' (द पैरिस टाइम्स, 1 दिसंबर, 2006)

रोज़गार न्यायालयों की भूमिका

■ फ्रांसीसी सरकार द्वारा कंपनियों से कहा गया है कि वे एक ऐसी अंदरूनी प्रणाली अपनाएं कि उनके प्रबंधकों को जो रोज़गार आवेदन पन्नों की आरंभिक जांच करते हैं, प्रार्थियों के व्यक्तिगत डेटा न ज्ञात हों। गोपनीय आवेदन पत्रों की पद्धति अपनाकर फ्रांस रोज़गार में भेदभाव दूर



श्रम के मुद्दों में नये विकास और प्रवृत्तियों का पुनरावलोकन

करने और साथ ही साथ अमरीका के सकारात्मक भेदभाव का मॉडल न अपनाकर देश के समतावादी सिद्धांतों की रक्षा के प्रयत्न तथा फ्रांस, इन्फो द्वारा एक जनमत सर्वेक्षण में पाया गया कि 47 प्रतिशत प्रतिक्रियाएं सकारात्मक भेदभाव के विरुद्ध थीं और 44 प्रतिशत उसके पक्ष में। (आंगुस रीड, 26 दिसंबर, 2006)


■ पिछले दो दशकों से, अमरीका में सकारात्मक भेदभाव की नीति कठोरता से लागू की जा रही है। परंतु नस्तीय आधार पर भेदभाव के बहुत से पुराने मामले अपने चरम-विंदु पर पहुंच रहे हैं और उन्होंने रोज़गार न्यायालयों तथा भर्ती प्रक्रियाओं की कार्यकुशलता पर वाद-विवाद शुरू कर दिया है। अलावामा परिवहन विभाग के विरुद्ध एक नस्तीय भेदभाव का मामला 21 वर्षों की कानूनी लड़ाई के पश्चात् समाप्ति की कगार पर है। इस मुकदमे में - जिसमें विभाग के खिलाफ अभियोग था कि उसने अफ्रीकी मूल के अमरीकनों के विरुद्ध भर्ती में भेदभाव अपनाया - छठ से अधिक गर्वनर लिप्त थे और उस पर अभी तक राज्य के 20 करोड़ डॉलर खर्च हो चुके हैं। मामले के खत्म होने का अर्थ है कि दस वर्षों तक भर्ती पर रोक के बाद राज्य नौकरियों तथा पदोन्नति के लिए भेदभाव-रहित परीक्षण पद्धति के आवर्तन पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। और इस मामले के कारण विभाग में अफ्रीकी-अमरीकी प्रतिनिधित्व बढ़ गया। वर्ष 2003 में 35 प्रतिशत अश्वेत कर्मचारी थे, जो संख्या श्रम बाज़ार की स्थिति से और - जो कि अधिक अर्थपूर्ण है - अलावामा की आंकड़ों के हिसाब से पूरे श्रम बाज़ार में सबसे अधिक और अलावामा की 24 प्रतिशत अश्वेत जनसंख्या से कहीं अधिक है। (डेकाट्र डेली न्यूज़, 8 जनवरी, 2007)



© Y.O.U@eVbVM Ivtb_yv/s

■ वॉल-मार्ट के खिलाफ विकलांगता संबंधी भेदभाव का मुकदमा जारी है। जनवरी 2004 में समान रोज़गार अवसर आयोग (ईईओसी) ने आर्कन्सो में स्थापित वॉल-मार्ट पर तब मुकदमा ठोक दिया जब उसने विकलांगता अधिनियम का उल्लंघन करते हुए एक प्रमस्तिष्क-धात व्यक्ति को नौकरी पर रखने से इनकार कर दिया। बैसाखी और ढील चेयर का इस्तेमाल करने वाले स्टीवन ब्रैडली को नौकरी क्यों नहीं दी गयी, इस पर कंपनी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उसने केवल अपनी भेदभाव-विरोधी नीति का ही हवाला दिया। परंतु ईईओसी ने वॉल मार्ट पर यह आरोप लगाया कि उसने 1994 और 1998 के बीच भर्ती से पहले एक ऐसी प्रश्नावली का इस्तेमाल किया। जिसमें विकलांगता अधिनियम का उल्लंघन किया। ईईओसी ने कई अन्य मामले भी उठाये जिनमें कंपनी ने अक्षम व्यक्तियों की भर्ती नहीं की और कई ऐसे व्यक्तियों को नौकरी से निकाल भी दिया। (फॉर्ब्स, 14 फरवरी 2007)

■ ब्रिटेन में कार्यस्थलों पर आयु संबंधी भेदभाव के खिलाफ कानून अक्टूबर 2006 में प्रभावी हुआ। नयी नीतियों के तहत रोज़गार संबंधी कई मुद्दे लाये गये हैं - जैसे नियोक्ताओं द्वारा 65 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों के साथ आयु के आधार पर भेदभाव, नयी भर्ती के लिए किसी विशेष आयु से नीचे या ऊपर होने की शर्त लगाना और आयु के आधार पर अवसर की विधियां या नौकरी से निकाला जाना वर्जित है। नये कानून लागू करने के पीछे वह बढ़ती हुई जागरूकता थी कि रोज़गार में आयु-संबंधी भेदभाव देश में व्यापक रूप धारण कर चुका है। आयु-आधारित भेदभाव कुशल प्रार्थियों के रोज़गार बाज़ार में अवसर कम करता है और कंपनियों के भर्ती तथा धारण पर खर्चों को बढ़ाता है, अधिक आयु वाले लोगों पर अक्षम तथा प्रशिक्षण के लिए अनुपयुक्त होने की मोहर लगा देता है, और युवा कर्मियों को अनुभवहीन ठहराता है। (बीबीसी न्यूज़, 25 सितंबर 2006)



© Y.O. Bhavna Mb.

■ ब्राज़ील में नस्लीय भेदभाव से निपटने के लिए 2001 में कई कदम उठाने आरंभ किये गये। वर्ष 2003 में नस्लीय समानता को प्रोत्साहन देने हेतु विशेष सचिवालय (एसईपीपीआइआर) की स्थापना की गयी। यह सार्वजनिक नीति की पहल ब्राज़ील के लंबे और हाल ही के गुलामी तथा जबरन श्रम के इतिहास के कुप्रभावों को पूरी तरह से मिटा देने के लिए की गयी। इसका उद्देश्य है व्यक्तिगत तथा अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों की सुरक्षा, अधिकांश अश्वेत जनसंख्या को निर्धनता से मुक्ति दिलाने हेतु विकास परियोजनाएं और जागरूकता अभियान चलाना। एसईपीपीआइआर द्वारा कई सक्रिय श्रम बाज़ार नीतियां अपनायी गयी हैं, जैसे कार्य प्रशिक्षण एवं शिक्षा तथा उत्कृष्ट कार्य हेतु

बेहतर सुविधाओं के लिए एक सम्मिलन नेटवर्क्स की स्थापना। हालांकि इन नवी नीतियों को लागू करना अभी एक समस्या है, फिर भी एसईपीपीआइआर ब्राज़ीलियन समाज के उपेक्षित मुद्रों से निपटने का प्रयास कर रहा है।

प्रत्यक्ष भेदभाव

■ भर्ती के दौरान प्रत्यक्ष भेदभाव अभी भी आम बात है। हाल ही में एक सिंगापुर ऑनलाइन रोज़गार पॉर्टल में एक विज्ञापन था - 'गैर भारतीयों को तरजीह'। यह विज्ञापन फ्रेंटलाइन टेक्नॉलॉजीज़ द्वारा दिया गया था, जिसने बाद में इस भेदभावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए माफी मांगी। इसे अपने विज्ञापन से हटा भी दिया। इस घटना

से सिंगापुर के समाज में भेदभाव पर बहस छिड़ गयी। नौकरी की तलाश कर रहे मलय तथा भारतीय लोगों की शिकायत है कि आवेदन-पत्र जमा करते समय बहुधा उनसे यह नहीं पूछा जाता कि क्या वे अमुक कार्य करने योग्य हैं, बल्कि यह कि क्या वे चीनी भाषा बोल या लिख सकते हैं? आंकड़े दर्शाते हैं कि सिंगापुर के तीन में से दो श्रमिकों की शिकायत है कि उनके साथ कार्यस्थल पर किसी न किसी आधार पर भेदभाव हुआ है - चाहे उसका कारण आयु (29 प्रतिशत), नस्ल (19 प्रतिशत), लिंग (11 प्रतिशत) या विकलांगता (2 प्रतिशत) हो। (दुड़े ऑनलाइन, 29 दिसंबर 2006)

■ विश्व के कुछ हिस्सों में भेदभाव नस्ल पर आधारित न होकर जाति-आधारित है, समाज को विभाजित करने वाली प्रथा, जिसका दक्षिण एशिया में वर्चस्व है। जाति प्रथा एक प्राचीन परंपरा है, जिसके अनुसार किसी को पैदा होते ही उसकी जाति के आधार पर किसी विशेष व्यवसाय से जोड़ दिया जाता है। जैसे नीची जाति के समुदायों को निम्न दर्जे के कार्य ही करने को दिये जाते हैं और उत्पादन, प्रसंस्करण तथा खाद्य पदार्थों की विक्री, घरेलू कार्यों तथा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के श्रम बाज़ार से उन्हें बाहर ही रखा जाता है।

यद्यपि नेपाल में जाति प्रथा दो दशक से भी पहले से प्रतिबंधित कर दी गयी थी। दलितों के खिलाफ भेदभाव तो अभी भी जारी है। स्थानीय एनजीओ उपेक्षित समुदाय जागरूकता (एनसीए) के अनुसार दलित परिवारों को अभी भी अधिकांश अर्थक तथा प्रगतिशील गतिविधियों से दूर रखा जाता है। दलित महिलाओं को केवल अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में ही काम मिल सकता है, और अनेकों ऐसी महिलाओं को जीविका उपार्जन हेतु शहर जाकर शोषणप्रथान काम करने पड़ते हैं। दलित एनजीओ संघ (डीएनयेफ) के अनुसार पचास लाख में से 80 प्रतिशत दलित ग्रीवी रेखा के नीचे जी रहे हैं। (रायटर्स अलर्टनेट, 5 जनवरी 2007)


■ कीनिया के नूबियन समुदाय के लिए भर्ती तथा रोज़गार में भेदभाव न केवल दस्तूर है, बल्कि उसे



प्लैनेट वर्क

श्रम के मुद्दों में नये विकास और प्रवृत्तियों का पुनरावलोकन

संस्थागत बना दिया गया है। नूबियन समुदाय को कानूनी नागरिकता प्राप्त नहीं है, इसलिए उन्हें पहचान-पत्र नहीं जारी किये जाते। फलस्वरूप जब वे नौकरी के लिए दरखास्त देते हैं तो पहचान-पत्र प्रस्तुत न करने के कारण उनकी अर्जी अस्वीकार कर दी जाती है। समुदाय में गरीबी और बेरोज़गारी व्याप्त है। नूबियन लोग प्रशासनिक सेवाओं में भी नौकरी प्राप्त करने में अवरोधित हैं, क्योंकि इन सेवाओं की भर्ती ज़िला स्तर पर आयोजित की जाती है - जिसका अर्थ है कि जिन लोगों का अपना कोई पैतृक गांव नहीं है, वे इसमें भाग नहीं ले सकते। (ओहमाई न्यूज़ इंटरनैशनल, 23 दिसंबर, 2006)



© YO-News/INM/MB-YVS

भेदभाव के नये रूप

■ भेदभाव का एक नया रूप जो सामने आ रहा है, विशेषकर औद्योगिक देशों में, वह है लैंगिक अभिमुखता पर आधारित भेदभाव। पहले समलैंगिक श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं था और अब बहुत से देश लैंगिक अभिमुखता के आधार पर किये जाने वाले भेदभाव से निवटने के लिए कानून अपना रहे हैं।

अमरीका सैनिक सेवा में 'न पूछो, न बताओ' की नीति एक अत्यंत विवादास्पद विषय है। 1993 में लागू की गयी यह नीति समलैंगिक सैनिकों को बाध्य करती है कि वे अपनी लैंगिक अभिमुखता ज़ाहिर न करें और न ही उसके बारे में बात करें। हाल ही में इस नीति का विरोध किया गया है। इस विरोध का बीज बोया जॉएंट चीफ ऑफ स्टाफ के पूर्व अध्यक्ष जॉन शलिकाश्विली ने। 'न्यू यॉर्क टाइम्स' में प्रकाशित एक लेख में उन्होंने समलैंगिकों की सैन्य सेवा में भर्ती पर अपनी पहली अवस्थिति को रद्द

करते हुए दृढ़तापूर्वक कहा कि समलैंगिक व्यक्ति चाहे वे पुरुष हों या महिलाएं, सैन्य सेवाओं में खुलेआम काम कर सकते हैं, बिना इन सेवाओं की कार्यकुशलता को क्षति पहुंचाए हुए। 'न पूछो, न बताओ' नीति के तहत 9,500 सैनिक कर्मियों को समलैंगिकता के लिए बर्खास्त किया गया है। (द न्यू यॉर्क टाइम्स, 2 जनवरी 2007; द वॉशिंग्टन पोस्ट, 14 फरवरी 2006)

■ एक अन्य नया रूप है कार्यस्थलों पर एचआइवी/एडस आधारित भेदभाव। कई कंपनियों की भर्ती नीतियों में व्यक्ति का

क्या सकारात्मक भेदभाव कारगर है?

सरोज़गार में समान अवसर तथा प्रतिनिधित्व जैसे सक्रिय प्रयासों द्वारा पूर्व तथा वर्तमान भेदभाव को समाप्त करना ये नीतियाँ महिलाओं या अल्पसंख्यकों को नौकरी के अवेदन में अतिरिक्त अंक देकर (जैसा कि अमेरिका में), वंचित जातियों (जैसा कि भारत में) के लिए कोटा प्रणाली के तहत आरक्षित स्थानों का प्रावधान; स्केरिंग प्रणाली, जिसके तहत कंपनियों द्वारा नौकरी के लिए बहुत कम मार्गे रखी जाती हैं (जैसा कि दक्षिण अफ्रीका में)। इन प्रयासों को काफी सफलता मिली है और अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानून द्वारा इन्हें मान्यता भी मिली है। सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन हेतु अंतरराष्ट्रीय समझौते के अनुसार, ‘जहां तक ऐसे (सकारात्मक) उपाय भेदभाव को दूर करने के लिए आवश्यक हैं, प्रतिज्ञापत्र के अंतर्गत वे वैध भेदीकरण के मामले हैं।

सकारात्मक भेदभाव के विरोधी यह तर्क देते हैं कि भेदभाव से जूझने के लिए, अन्य भेदभावपूर्ण कार्य करना न्यायसंगत नहीं है; इसके अलावा यह तरीका उस अवधारणा की अनदेखी करता है, जिसके अनुसार लोगों को उनके कौशल और योग्यता के आधार पर पुरस्कृत करना चाहिए, न कि नस्ल, लिंग, जाति या विकलांगता के आधार पर। उदाहरणार्थ, मिशिगन विश्वविद्यालय पर 1997 में उसकी प्रवेश प्रक्रिया में सकारात्मक भेदीकरण के खिलाफ दायर किये गये मुकदमे का हाल ही में अंत हुआ है। लगभग 40,000 लोगों द्वारा ‘वर्ग क्रिया’ मुकदमे में

यह मुद्रा उठाया गया था कि विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति के तहत प्रवेश प्रार्थियों को नस्ल तथा लिंग के आधार पर अतिरिक्त अंक दिये जाते थे।

हालांकि मामला अदालत के बाहर ही निवट गया, लेकिन इस मुद्रे पर बहस आंखंभ हो गयी और नवंबर 2006 में मिशिगन मतदाताओं ने प्रस्ताव 2 को स्वीकृत किया, जिसके अनुसार विश्वविद्याल में प्रवेश तथा सरकारी भर्ती में नस्ल और लिंग को तरजीह वर्जित है।

अमेरिका से विक्सुल उलट ब्रिटेन में सकारात्मक कार्य को संदेहात्मक दृष्टि से देखा जाता रहा है। वर्ष 2001 में ‘ग्रीष्म हिंसा’ दंगों के पीछे कुछ हद तक निर्धन शेष युवाओं द्वारा नगर निगम अनुदानों में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति वफादारी का विरोध था (बीबीसी न्यूज़, 11 दिसंबर, 2001)। गत कुछ वर्षों में हुए नस्लीय दंगों को ध्यान में रखते हुए, मार्टिन टैंपल, नियोक्ता संगठन ईईसी के महा-निदेशक, दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि सकारात्मक भेदभाव ‘ऊपरी तौर पर’ कार्य का एक दिलचस्प तरीका है, लेकिन वह अपने साथ कई जटिलताएं लाता है, जिनसे नियोक्ता दूसरों को क्षति पहुंचाए बिना नहीं ‘निवट सकता’।

जबकि सकारात्मक भेदभाव की अवधारणा अपने आप में प्रतिनिधित्व तथा अवसर की समानता की वकालत करती है, प्रश्न सदैव की भाँति वही रहेगा : क्या अंत साधन को न्याय बनाता है?

तथा भेदभाव का शिकार बनाया जाता है। मंच की बैठक - जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय, एचआइवी/एड्स पर जमाइकन व्यापार परिषद, राष्ट्रीय एड्स समिति एवं कई नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे - आम राय व्यक्त की गयी कि मुख्य मुद्रा एचआइवी/एड्स नहीं

बल्कि कार्यस्थल पर अनिवार्य परीक्षण त्यागने हेतु एक राष्ट्रव्यापी आहवान तथा स्वास्थ्य-आधारित भेदभाव प्रतिबंधित करने एवं स्वैच्छिक परीक्षण के परिणामों की गोपनीयता सुनिश्चित करने हेतु कानून की आवश्यकता है। ■ औद्योगिकृत विश्व में कई कार्यस्थलों पर

अनुवांशिकी भेदभाव उभर रहा है। कुछ नियोक्ता तो अनुवांशिकी परीक्षण अनिवार्य कर रहे हैं ताकि किसी वंशानुगत बीमारी, जैसे मधुमेह, होने की संभावनाओं का पता लगाया जा सके। कई श्रमिक एवं संगठन जैसे समान आयोग, अनिवार्य निरूपण का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसी सूचना का ग़लत इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसकी वजह से श्रमिकों का कंपनी में रोज़गार छिन सकता है उन्हें स्वास्थ्य बीमे से विचित रखा जा सकता है या उन्हें अधिक प्रीमियम देना पड़ सकता है। फरवरी 2007 में, अमेरिकी सिनेट द्वारा एक विधेयक स्वीकृत किया गया जिसके अनुसार भर्ती, बर्खास्तगी तथा पदोन्नति का निर्णय किसी सूचना के आधार पर नहीं होगा। (kaisernetwor.org, 1 फरवरी 2007)



2007 में महिलाओं में रोज़गार की वैश्विक प्रवृत्तियाँ

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय (आईएलओ)



© E. Orlitzky/MSB, YK

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय (आईएलओ) द्वारा जारी एक नयी रिपोर्ट के अनुसार, 'कभी भी इतनी महिलाएं काम पर नहीं रहीं, लेकिन प्रतिष्ठा, रोज़गार सुरक्षा, वेतन और शिक्षा में महिलाओं और पुरुषों के बीच चिरस्थाई अंतर 'श्रमरत निर्धनता में स्त्रीकरण' में सहायक सिद्ध हो रहा है। सदा एक दूरी रही है, जिसने महिलाओं में श्रम-निर्धनता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभायी है।

जेनेवा - महिलाओं के लिए रोज़गार की वैश्विक प्रवृत्तियाँ - 2007 के अनुसार, श्रम बाज़ार - कार्य में या कार्य को ढूँढ़ने में महिलाओं की भागीदारी आज शिखर पर है। वर्ष 2006 में आईएलओ का अनुमान था कि विश्व के 2.9 अरब श्रमिकों में 1.2 अरब महिलाएं थीं।

परंतु आईएलओ के अनुसार इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं कभी अल्परोज़गार पर नहीं रहीं (8.18 करोड़),

या तो वे निम्नउत्पादकता वाले कृषि कार्यों या अन्य रोज़गारों में फंसी हुई हैं या पुरुषों के ही समान कार्य करते हुए कम पैसा पा रही हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में उन कार्यशील-आयु की महिलाओं की भागीदारी जो काम कर रही हैं या काम की तलाश कर रही हैं, बढ़ी नहीं हैं या कम हुई हैं। ऐसा अंशतः इस कारण हुआ है कि अधिकाधिक युवा महिलाएं श्रम को नहीं बल्कि शिक्षा को अपना रही हैं।

आईएलओ महा-निदेशक हुआन सोमाविया के अनुसार, 'कुछ प्रगति होने के बावजूद बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं अभी भी कम वेतन पा रही हैं, आमतौर पर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में, जहां न ही कानूनी संरक्षण और न ही प्राप्य और सामाजिक सुरक्षा मिलती है, लैंगिक समानता हेतु वैश्विक प्रयासों में उत्कृष्ट श्रम को प्रोत्साहन एक ऐसा मौलिक साधन है, जिससे महिलाओं की आय एवं अवसर बढ़ाने तथा परिवारों को निर्धनता से छुटकारा दिला सकें।

रिपोर्ट दर्शाती है कि इस समय कुल कार्यरत महिलाओं में मजदूरी तथा तनखाव पर काम कर रही महिलाओं का अनुपात 47.9 प्रतिशत है जबकि दस वर्ष पहले वह 42.9 प्रतिशत था। परंतु अध्ययन में यह तथ्य भी सामने आया कि जितना ही ग्रीबी कोई क्षेत्र होता है, उतनी ही अधिक संभावना होती है कि पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं विना किसी मेहनताने के घरेलू कार्य में लगी होंगी या कम आय वाले निजी व्यवसाय कर रही होंगी।

महिलाओं में वैश्विक प्रवृत्तियाँ - 2004, के अनुमानसार विश्व के कुल निर्धन श्रमिकों में से 60 प्रतिशत महिलाएं थीं। निर्धन श्रमिक - वे लोग जो काम तो करते हैं, लेकिन इतना नहीं कमाते कि अपना और अपने परिवार को एक डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की ग्रीबी रेखा से ऊपर उठा सकें। आईएलओ के सामयिक अध्ययन के अनुसार, 'इस बात पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि इस स्थिति में कुछ विशेष सुधार हुआ है।'

फ़ासले कम, लेकिन कायम

इस वर्ष जारी 'महिलाओं में वैश्विक प्रवृत्तियाँ' के अनुसार, लैंगिक फ़ासले कम तो हो रहे हैं, लेकिन बहुत

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2007

‘सीमाओं को तोड़ना और परिवर्तन लाना’

© e-Office@vib.yavas



© e-Office@vib.yavas

जेनेवा - आइएलओ ने महिला दिवस, कई समारोहों द्वारा उन कार्यरत महिलाओं को बधाइ देकर मनाया जो ‘सीमाओं को तोड़कर परिवर्तन ला रही हैं’। जेनेवा में आइएलओ मुख्यालय में आयोजित ऐसे ही एक सार्वजनिक समारोह में सुश्री अनुशेह अंसारी, उद्यमि एवं व्यक्तिगत तौर पर पहली अंतरिक्ष अन्वेषक, की उपलब्धियों की सराहना की गयी।

आइएलओ ने श्रम की दुनिया पत्रिका 1999-2006 के दौरान छपे लेखों का ‘विश्वभर में लैंगिक समानता’ शीर्षक से एक नया संग्रह भी जारी किया। पुस्तक श्रम की दुनिया में एक दशक से लैंगिक समानता के समक्ष आने वाली चुनौतियों तथा उसमें उपलब्धियों से जुड़े मुद्दों पर विहंगम दृष्टि डालती है। कार्यस्थल पर भेदभाव, इस्टोनिया में काम पाने की इच्छुक महिलाओं, तंजानिया में लैंगिक समानता

के लिए किये जा रहे जीवन-वृत्त-आधारित नवीन प्रयास, भारत में स्वरोज़गार से जुड़ी महिलाएं, नार्वे में पैतृत्व अवकाश पर विकासशील नीतियां, फिलीपीन्ज़ में महिला धरेलू श्रमिक, युद्धों का विवरण भेजने वाली महिला पत्रकार या वे महिलाएं जो गृहयुद्धों में अपनी जान बचाती फिरती हैं, तथा महिला खिलाड़ी।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2007 से संबंधित अधिक सूचना के लिए संपर्क करें www.ilo.org/public/english/bureau/inf/event/women/2007/index.htm. ‘विश्व में लैंगिक समानता’ (जेंडर इक्वलिटी अराउंड द वर्ल्ड) की प्रति पाने के लिए साइट www.ilo.org/publ. देखें। मूल्यों के लिए इस संस्करण में ‘नये प्रकाशन’ देखें।

धीमी रफ्तार से, और यह रिपोर्ट अन्य मुद्दों पर भी केवल अंशिक रूप से ही प्रोत्साहक है।

- वर्ष 2006 में पुरुषों की अपेक्षा महिला बेरोज़गारों की संख्या अधिक थी। महिलाओं में बेरोज़गारी दर 6.6 प्रतिशत थी, बेरोज़गार पुरुषों की दर 6.1 प्रतिशत थी।
- 15 वर्ष से ऊपर श्रम-आयु महिलाओं में केवल आधी ही कार्यरत हैं, जबकि 10 में से सात से भी अधिक पुरुष काम करते हैं।



© e-Office@vib.yavas

- इस बात के सबूत हैं कि वेतन में भी बहुत भेदभाव होता है। छह व्यावसायिक समूहों से एकत्र किये आंकड़ों से यह बात सामने आयी है कि जितना पैसा पुरुषों को मिलता है, उनके साथ कार्यरत महिलाएं उसका 90 फीसदी या इससे भी कम वेतन पाती हैं।
- अधिकांश क्षेत्रों में शिक्षा तक पहुंच और शिक्षा के स्तर में भी असमानता व्याप्त है। उन बच्चों में से जो पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं, 60 प्रतिशत लड़कियां होती हैं : बहुधा उन्हें घर के काम में मदद करने या श्रम करने के लिए स्कूल जाना बंद करना पड़ता है। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि ‘महिलाओं के लिए पर्याप्त उत्कृष्ट तथा उत्पादक श्रम का सुजन संभव है, जैसा कि इस रिपोर्ट में वर्णित कुछ विकास कार्य दर्शाते हैं। परंतु नीति-निर्माताओं को सामाजिक तथा आर्थिक नीतियों में रोज़गार को केंद्रबिंदु बनाना चाहिए कि महिलाओं को श्रम के संसार में चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाने हेतु उपयुक्त हस्तक्षेप की आवश्यकता है’

महिलाएं. पुरुष. भिन्न. समान

जेनेवा : आइएलओ पुस्तकालय तथा जैंडर ब्यूरो ने श्रम की दुनिया में लैंगिक समानता पर एक नयी संसाधन निर्देश-पुस्तिका विकसित की है।

इस निर्देश-पुस्तिका द्वारा आइएलओ के मुख्य प्रकाशन, कार्यस्थलों पर लैंगिक भेदभाव संबंधी आंकड़े तथा लैंगिक समानता को प्रोत्साहन देने के प्रयासों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

अनुसंधानकर्ता तथा नीति-निर्माता लैंगिक समानता के सभी पहलुओं जैसे समान रोज़गार अवसर, लैंगिक वेतन अंतराल, परिवारपरक कार्यस्थल नीतियां, लैंगिक तथा वैशिवकरण, लिंग-आधारित हिंसा, लिंग तथा अप्रवास, महिलाओं तथा लड़कियों के अवैध व्यापार के बारे में विस्तृत जानकारी पा सकते हैं।



©, e-Dikt@vdb, YVS

सामग्री इंग्लिश, फ्रेंच तथा स्पैनिश में भी उपलब्ध है:

<http://www.ilo.org/public/english/support/lib/resource/subject/gender.htm>

<http://www.ilo.org/public/french/support/lib/resource/subject/gender.htm>

<http://www.ilo.org/public/spanish/support/lib/resource/subject/gender.htm>

एचआइवी/एड्स पर बनी आइएलओ व्यवहार संहिता को नया समर्थन

यूरोपीय समुदाय तथा 16 अन्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों द्वारा हाल ही में ‘एचआइवी/एड्स के खिलाफ ज़िम्मेदारी तथा सहभागिता’ पर ब्रेमेन घोषणापत्र जारी किया गया।

नियोक्ताओं तथा श्रमिकों का आहवान करता है कि वे एचआइवी के साथ जी रहे व्यक्तियों के लिए भेदभाव रहित नीतियों एवं उनकी देखभाल तथा सहायता हेतु क़दम सुनिश्चित करें।

सम्मेलन में आइएलओ के प्रस्तुतिकरण ने दर्शाया कि वह कैसे श्रम की दुनिया में ‘एचआइवी/एड्स पर व्यवहार संहिता’ के तहत कार्य करता है। घोषणापत्र में भी इस संहिता का महत्व स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है।

यूएनएड्स का अनुमान है कि वर्ष 2006 में यूरोप में 2,70,000 व्यक्ति एचआइवी-पीड़ित थे और एक दशक में यह संख्या बढ़कर दस लाख 70 हज़ार हो गयी है।

ब्रेमेन सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें-
http://www.bmg.bund.de/cln_040/nn_1030704/DE/Themenschwerpunkte/internales/EU-Ratspraesidentschaft/Konferenzen/bremen-12-3.html.

©, e-Dikt@vdb, YVS



©, e-Dikt@vdb, YVS

सभी के लिए उत्कृष्ट श्रम को प्रोत्साहन देने के लिए आइएलओ द्वारा ईयू के निर्णय का स्वागत

पिछले दिसंबर में यूरोपियन मंत्री परिषद द्वारा यूरोपियन समुदाय तथा पूरे विश्व में उत्कृष्ट श्रम को प्रोत्साहन देने हेतु यह कहते हुए कुछ प्रस्ताव पास किये, कि ये कदम उत्कृष्ट श्रम को वैश्विक वास्तविकता बनाने के प्रयासों का शक्तिशाली समर्थन करते हैं।

ब्रसल्स : यूरोपीय मंत्री परिषद् के निर्णय का स्वागत करते हुए आइएलओ ने कहा कि यह हाल ही में उठाये गये कदमों में से एक नवीनतम कदम है। जिन्होंने आइएलओ के उत्कृष्ट श्रम कार्यक्रम तथा यूरोपीय संघ की नीतियों एवं कार्यों के बीच संबंध स्थापित किया है और उत्पादक तथा उत्कृष्ट श्रम की प्रवर्तक शक्ति को वास्तविक रूप देने में सहयोग हेतु रास्ता बताया है।

आइएलओ के यूरोपीय व मध्य एशियाई क्षेत्रीय निदेशक फ्रेड्रिख बटलर ने 4-5 दिसंबर को ब्रसेल्स में यूरोपीय समुदाय द्वारा आयोजित सम्मेलन 'विश्व में उत्कृष्ट श्रम को प्रोत्साहन : ईयू का योगदान' में कहा कि यूरोप ने एक निर्णायक समय में एक निर्णायक मुद्रे पर अपना नेतृत्व प्रद. शित किया है। यह नेतृत्व तथा ईयू एवं आइएलओ के बीच सुदृढ़ भागीदारी उत्कृष्ट श्रम को वैश्विक वास्तविकता बनाने में अत्यावश्यक है।

श्री बटलर ने यूरोप में बेरोज़गारों की चिंताजनक ऊंची संख्या (1 करोड़ 70 लाख) खास 25 वर्ष से कम आयु के युवाओं में, जबकि विश्व के आधे श्रमिक एक डॉलर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की निर्धनतम रेखा से ऊपर उठने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा, 'यह एक कड़वी सच्चाई है कि अपेक्षाकृत सुदृढ़ आर्थिक प्रदर्शन के बावजूद विश्व हर वर्ष चार करोड़ श्रमिक बल में वृद्धि के अनुरूप उत्कृष्ट रोज़गार नहीं पैदा कर पा रहा है और न ही बेरोज़गारी तथा श्रमरत निर्धनता कम कर रहा है।'

'मानव जीवन का इस तरह से नष्ट होना दुखद है और हमारे समाज के लिए यह गंभीर कठिनाइयां खड़ी कर सकता है', श्री बटलर ने कहा।

सबके लिए उत्कृष्ट श्रम पर यूरोपीय मंत्री परिषद के निर्णय ईयू को इस मुद्रे पर वैश्विक रणनीति का भाग बना देंगे। वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन ने सहमता दी प्रगतिशील लक्ष्यों को प्राप्त करने के वैश्विक प्रयासों में सबके लिए पूर्ण तथा उत्पादक रोज़गार और उत्कृष्ट श्रम के लक्ष्य को शक्तिशाली समर्थन दिया। एक अन्य महत्वपूर्ण घटना घटी इस वर्ष जुलाई में, जब जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद ने उत्कृष्ट श्रम का एक वैश्विक लक्ष्य के रूप में अनुमोदन किया।

आसिआन तथा आइएलओ द्वारा श्रम तथा रोज़गार मुद्रों पर साझा कार्य

जेनेवा - दक्षिण एशियाई राष्ट्र संघ (आसिआन) सचिवालय तथा अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय (आइएलओ) द्वारा अपनी भागीदारिता तथा सहभागिता को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सहयोग समझौता किया है। यह समझौता, जिस पर आसिआन महा-सचिव ॐ ग केंग यांग तथा आइएलओ महा-निदेशक हुआन सोमाविया ने जेनेवा में हस्ताक्षर किये।

दोनों संगठनों द्वारा आसिआन क्षेत्र में श्रम तथा रोज़गार मुद्रों तथा सामाजिक प्रगति को प्रोत्साहन देने में वचनबद्धता।

समझौते के तहत आसिआन सचिवालय तथा आइएलओ कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं, जिसमें व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, एचआईवी/एड्स एवं कार्यस्थल, व्यापारिक उदारता के रोज़गार पर प्रभाव, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा



© , e-Dikt@Mdb.yvis

तथा श्रम आवास जैसे मुद्रों से संबंधित कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं को लागू करने में और अधिक गहन बनायेंगे।

दोनों प्रतिष्ठान सूचना, अनुसंधान अध्ययन तथा सभाओं के कार्यक्रमों का भी आदान-प्रदान करेंगे।


आसिआन सदस्य देशों - ब्रूनेई, दारउस्सलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यान्मार, फ़िलिपीन्ज़, सिंगापुर, थाइलैंड तथा वियतनाम - जिनकी कुल जनसंख्या 56 करोड़ से भी अधिक है, हर वर्ष 400

बिलियन अमरीकी डॉलर खर्च होते हैं तथा 33 करोड़ श्रमिक हैं। इस क्षेत्र के कुल घरेलू उत्पाद में 2000 से 2006 के बीच 5.7 प्रतिशत औसत वृद्धि हुई। परंतु इसी समय में बेरोज़गारी दर पांच प्रतिशत से बढ़कर 6.6 प्रतिशत हो गयी। आसिआन क्षेत्र से 2005 में 65 करोड़ डॉलर के मूल्य का निर्यात किया गया, जोकि उस वर्ष एशिया से कुल निर्यात का 22 प्रतिशत था।

श्रम-स्थितियों व रोज़गार कानूनों का आंकड़ासंचय

श्रमिकों के जीवन पर वैश्विकरण के प्रभाव पर अंतरराष्ट्रीय वाद-विवाद विश्व भर में श्रम की स्थितियों तथा उनको व्यवस्थित करने वाले राष्ट्रीय कानूनी मानकों पर केंद्रित होते हैं। परंतु श्रम स्थितियों पर राष्ट्रीय कानूनों के बारे में सही तथा सामयिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्रोतों से सामग्री ढूँढ़नी पड़ती है और विभिन्न देशों तथा क्षेत्रों के कानूनी उपायों की

तुलना करनी पड़ती है। सामयिक कानूनी जानकारी की पहचान करना न केवल कठिन है, बल्कि उसमें बहुत समय भी लगता है। इस समस्या के निवारण के लिए आइएलओ का श्रम स्थितियां तथा रोज़गार कार्यक्रम (त्रावाई) विश्व भर की श्रम स्थितियों पर विश्वभर के कानूनी प्रावधानों को पहचानता, उनकी तुलना तथा अनुवाद करता है। इस अनुसंधान के परिणाम श्रम स्थितियों तथा



रोजगार कानूनों पर आईएलओ का आंकड़ासंचय (आईएलओज डेटाबेस ऑफ कंडीशन्स ऑफ वर्क एंड इंप्लॉमेंट लॉज) - travail@ilo.org. पर उपलब्ध है।

यह आंकड़ासंचय राष्ट्रीय कानूनी मानकों तथा श्रम स्थितियों पर विश्व का आमुख स्रोत है। इसमें श्रम स्थितियों के तीन सबसे अधिक अर्थपूर्ण पहलुओं - मातृत्व संरक्षण, न्यूनतम वेतन तथा कार्य के घंटे - पर 100 से अधिक देशों के कानूनों के बारे में जानकारी संचित होती है।

यह संचय, जिसका हर वर्ष नवीनीकरण होता है, जानकारी सरलता से उपलब्ध कराता है, आवश्यकतानुसार भिन्न देशों के बारे में अन्वेषण करता है एवं भिन्न देशों तथा क्षेत्रों में श्रम तथा रोजगार की स्थितियों पर कानूनों की तुलना करता है। यह जानकारी केवल सूचना के लिए उपलब्ध करायी जाती है तथा अधिकारिक कानूनी मूलपाठों में प्राप्त जानकारी का स्थान नहीं लेती। श्रम-स्थितियों तथा रोजगार कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें travail@ilo.org.

श्रम-स्थितियों तथा रोजगार कानूनों के आंकड़ासंचय में कौन से कानून शामिल हैं?

मातृत्व संरक्षण

- मातृत्व अवकाश तथा उससे जुड़ी छुटियां, जिनमें दत्क-ग्रहण छुटियां भी शामिल हैं।
- छुटियों की अवधि में नगद भुगतान की सुविधा।
- मातृत्व संरक्षण संबंधी चिकित्सा सुविधाएं।
- स्वास्थ्य संरक्षण सुविधाएं, जैसे सुव्यवसित काम के घंटे, ख़तरनाक तथा अस्वास्थ्यकारी काम से बचाव, स्तनपान का प्रावधान।
- मातृत्व-आधारित भेदभाव से संरक्षण तथा रोजगार सुरक्षा हेतु प्रावधान।

न्यूनतम वेतन

- न्यूनतम राष्ट्रीय मुद्रा और अमरीकी डॉलर में।
- न्यूनतम वेतन तय करने के लिए मापदंड।
- निर्धारण व्यवस्था, जैसे सार्वजनिक प्राथिकरण, सामूहिक सोदेवाज़ी
- कार्यक्षेत्र : कौन से श्रमिक न्यूनतम वेतन के हकदार।

- न्यूनतम वेतन दरों में फेरबदल के अंतराल नियंत्रक प्रणाली।
- नियंत्रण प्रणाली।

काम के घंटे

- कार्य के घंटों की सीमा : दैनिक, साप्ताहिक तथा वार्षिक।
- ओवरटाइम, श्रम - काम के घंटों की सीमा तथा वेतन दरों सहित।
- आराम के समय - दिन में, सप्ताह के बीच में तथा सप्ताह के अंत में।
- वार्षिक तथा सार्वजनिक छुटियां।
- रात्रि श्रम - स्वास्थ्य संरक्षण, अतिरिक्त वेतन तथा निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए विशेष सुरक्षा (जैसे गर्भवती कर्मचारी, छोटी आयु के श्रमिक)
- अंशकालिक कार्य - ऐसे श्रमिकों के लिए समान व्यवहार अधिकार।
- श्रमिकों की इच्छानुसार कार्य के घंटे : ऐसे कानून जो श्रमिकों को छूट देते हैं कि वे अपने काम के घंटे स्वयं निश्चित करें।

महाद्वीपों के इर्द गिर्द



आइएलओ/डब्ल्यूटीओ: व्यापार तथा रोज़गार पर संयुक्त अध्ययन

■ यह अध्ययन विश्व व्यापार संगठन सचिवालय तथा अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय द्वारा संयुक्त अनुसंधान का परिणाम है। इसमें एक ऐसे मुद्दे पर विचार किया गया है, जो दोनों संगठनों के लिए महत्वपूर्ण है : व्यापार तथा रोज़गार के बीच संबंध।

संबंधित साहित्य को आधार बनाते हुए यह अध्ययन व्यापार तथा रोज़गार के बीच संबंध - जो कि एक विवादास्पद मुद्दा है - के बारे में क्या कहा जा सकता है, और कितने आत्मविश्वास के साथ कहा जा सकता है, इस पर एक पक्षपात-रहित दृष्टि डालता है। अध्ययन में व्यापारिक नीतियों तथा श्रम एवं सामाजिक नीतियों तथा श्रम एवं सामाजिक नीतियों के बीच संबंध पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सरल शैली

में लिखा हुआ यह अध्ययन उन सभी के लिए रुचिकर होगा जो इस विवाद में शामिल हैं : नीति निर्माता, श्रमिक संघ तथा नियोक्ता, और साथ ही व्यापार एवं श्रम बाज़ार अर्थशास्त्री तथा अन्य अनुसंधानकर्ता।

अध्ययन को पढ़ने या खरीदने के लिए संपर्क करें :

<http://www.ilo.org/public/english/support/publ/textem.htm.#5511>

गिनी पर आइएलओ महा-निदेशक का वक्तव्य

■ 12 फरवरी, 2007, को अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय के महा-निदेशक हुआन सोमाविया ने गिनी में हिंसा का अंत तथा वहां श्रमिक संघ के नेताओं की सुरक्षा का आह्वान किया। 'कोनाक्री में संघर्ष के फलस्वरूप कई जानें जा चुकी हैं तथा कई नागरिकों तथा श्रमिक संघ के नेताओं, जिनमें आइएलओ के शासी निकाय की माननीय सदस्या सुश्री रवियातू दिआलो भी शामिल हैं, को जान का खतरा बना हुआ है।' मैं गिनी के अधिकारियों, श्रमिक संघों के नेताओं तथा उन सब को जो वहां प्रभावी ढंग से सत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपील करता हूँ कि वे श्रमिक संघों की सुरक्षा निश्चित करें तथा हिंसा को समाप्त करने और गिनी के श्रमिकों, नियोक्ताओं तथा आम जनता द्वारा व्यक्त की गयी चिंताओं के समाधान हेतु शुद्ध भावना से तत्काल बातचीत शुरू करें, 'श्री सोमाविया ने कहा।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और दुनिया भर में आइएलओ से संबंधित गतिविधियों और घटनाओं की नियमित समीक्षा

अफ्रीका में एचआइवी/एड्स के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई

■ अंतरराष्ट्रीय मुक्त श्रमिक संघ मंडल के अफ्रीकी क्षेत्रीय संगठन (आइसीएफटीयू-एफो) तथा अंतरराष्ट्रीय नियोक्ता संगठन (आइओई) द्वारा 12-14 दिसंबर 2006 को संयुक्त रूप से कंपाला, युगांडा, में नियोक्ताओं तथा श्रमिकों के लिए एचआइवी/एड्स पर क्षमता-निर्माण बैठक आयोजित की गयी। बैठक की मेज़बानी श्रमिक व्यापार संघ संगठन (एनओटीयू) तथा युगांडा नियोक्ता संघ (एफ्यूई) ने संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन तथा तूरिन, इटली, स्थित उसके अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र के सहयोग से की। बैठक के मुख्य उद्देश्य थे आइओई- आइसीएफटीयू के एचआइवी/एड्स पर संयुक्त समझौते (2003) पर आधारित कार्यक्रमों तथा गतिविधियों एवं 2004 में जेनेवा में तय की गयी संयुक्त अभियान योजनाओं का मूल्यांकन करना: निरंतर चुनौतियों को पहचानना, तथा परियोजना-कार्यक्रम प्रवंधन की क्षमता का निर्माण करना। बैठक में राष्ट्रीय स्तर की मुख्य संस्थाओं के साथ सहभागिता को सुदृढ़ करने के रास्तों तथा कार्यस्थल द्वारा एचआइवी/एड्स पर नियोक्ताओं तथा श्रमिक संघों की संयुक्त कार्रवाई का अनुपात बढ़ाने हेतु संसाधन जुटाने - विशेषकर वैश्विक निधि द्वारा - पर भी चर्चा हुई। बैठक ने नियोक्ता तथा श्रमिक संगठनों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने -

विशेषकर आइएलओ के साथ - सुदृढ़ करने के लिए कई संस्तुतियां अपनायीं।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
ILO/AIDS - फोन : +41 22 799 8337
फैक्स : +41 22 799 6349
ईमेल : iloaids@ilo.org

ब्राज़ील: बाल श्रम के खिलाफ नया वेब पॉर्टल

■ नवंबर 2006 में, ब्राज़ील के बाल श्रम निरोध एवं उन्मूलन राष्ट्रीय मंच ने ब्रासीलिया में राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल मुख्यालय में इंटरनेट पर एक नया पॉर्टल (www.fnpeti.org) प्रस्तुत किया। यह पॉर्टल ब्राज़ील में बाल श्रम के बदतरीन रूपों पर नवीनतम आइबीओपीई

जनमत सामने लाता है।

पुर्तगाज में यह पहला बाल श्रम पॉर्टल ब्राज़ील के राष्ट्रीय श्रम कार्यवाही योजना की आइपीईसी समयबद्ध परियोजना के ढांचे में ब्राज़ीलियन विज्ञान तथा तकनीकी सूचना संस्थान (आइबीआइसीटी) तथा आइएलओ के सहयोग से विकसित किया गया। पॉर्टल में राष्ट्रीय तथा राज्य-स्तरीय मंचों की नेटवर्किंग गतिविधियों पर डेटा तथा जानकारी, कार्यसूची, समाचार, कागून तथा प्रकाशन तथा साथ ही भागीदारों के समस्त बाल श्रम नेटवर्क से संवंधित सूचना तथा डेटा उपलब्ध हैं। पॉर्टल छात्रों, अनुसंधानकर्ताओं, विशेषज्ञों, पत्रकारों तथा इस विषय में रुचि रखने वाले नागरिकों तथा उन समुदायों को जो बाल श्रम के खिलाफ लड़ रहे हैं, को बाल श्रम पर जानकारी आसानी से हर प्रकार का डेटा उपलब्ध कराता है।

अधिक सूचना के लिए ब्रासीलिया में आइएलओ कार्यालय से संपर्क करें -

फोन : +55-6121064600

फैक्स : +55-6133224352

ईमेल : brasilia@oitbrasil.org.br

ब्रूनेई बना 180वां आइएलओ सदस्य राष्ट्र

■ ब्रूनेई दारउस्सलाम अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का 180वां सदस्य बन गया है। यह घोषणा गृहमंत्री पेहिन दातो अदनान युसुफ के एक पत्र की जेनेवा में प्राप्ति के बाद की गयी। पत्र में ब्रूनेई की ओर से यह अभियक्ति की गयी कि वह देश औपचारिक रूप से आइएलओ संविधान के तहत कर्तव्यों को स्वीकार करता है। ब्रूनेई दारउस्सलाम की सदस्यता 17 जनवरी को प्रभावी हो गयी। वह देश 21 सितंबर, 1984 से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है।

एशिया में बढ़ती बेरोज़गारी पर आइएलओ/यूएन रिपोर्ट

■ एशिया के कई विकासशील देशों में ज़बर्दस्त अर्थिक विकास के बावजूद वहां पर्याप्त संख्या में रोज़गार उत्पन्न नहीं हुए हैं और न ही ग्रीष्मी कम हुई है। 'रोज़गार-रहित विकास' की इस चिंताजनक प्रवृत्ति के एशिया-आशांत क्षेत्र में सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों की प्रगति के लिए गहन निहितार्थ हैं, क्योंकि निर्धनता कम करने में उत्पादक रोज़गार मुख्य भूमिका निभाता है। ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) तथा आइएलओ द्वारा फरवरी 2007 में जारी की गयी नयी साझा रिपोर्ट के हैं। रिपोर्ट में आठ देशों - कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन्ज़, श्रीलंका तथा थाईलैंड की स्थिति पर दृष्टि डाली गयी है। 'विकास, रोज़गार तथा निर्धनता का एशियाई अनुभव' नामक इस अध्ययन में बताया गया है कि रोज़गारपरक आर्थिक प्रगति

ही निर्धनता में कमी लाने का माध्यम है और एशियाई अर्थव्यवस्था में रोज़गारपरक प्रगति क्यों कम हो रही है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें एशिया तथा प्रशांत आइएलओ क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकॉक -

फोन : +662.288.1234

फैक्स : +662.288.1735 या

ई-मेल : bangkok@ilo.org



© ILO/Photo by V. V. V.

उत्कृष्ट श्रम को प्रोत्साहन देने हेतु आइएलओ, यूएनडीपी का संयुक्त प्रयास

सं

युक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) तथा अंत. राष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) ने निर्धनता कम करने तथा उत्कृष्ट श्रम के और अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु संयुक्त राष्ट्र प्रयासों को समर्थन देने के लिए आपसी सहयोग तथा भागीदारी को और सुदृढ़ बनाने का निर्णय लिया है।

आइएलओ महा-निदेशक हुआन सोमाविया तथा यूएनडीपी प्रशासक केमेल दर्विस ने जेनेवा में एक संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर किये। इस समझौते के उद्देश्य हैं विश्व की आवादी के 20 से 40 प्रतिशत निम्नतम स्तर के लोगों के हित के लिए सामाजिक विकास के साथ सम्मिलित आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहन तथा यूएन द्वारा 2015 तक सहमत्वाद्वित विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयासों को समर्थन देना।

'हमें सम्मिलित विकास की तत्काल ज़रूरत है,' दोनों संस्थाओं के अध्यक्षों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त पत्र के अनुसार, 'हमें और अधिक सम्मिलित प्रगति की तत्काल ज़रूरत है। हालांकि हम अभूतपूर्व संपन्नता के दौर में रह रहे हैं, बढ़ती असमानता ने निर्धनता में कमी लाने के रास्तों को अवरुद्ध कर दिया है। लोकतांत्रिक भागीदारी के साथ ही हमें आर्थिक सशक्तीकरण की भी ज़रूरत है, जिसका अर्थ है सभी के लिए उत्कृष्ट श्रम।'


यह समझौता वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामा. जिक मंत्री परिषद की उत्कृष्ट श्रम और पूर्ण रोज़गार पर घोषणा के अनुर्वतन में किया गया है तथा संयुक्त राष्ट्र

प्रणाली द्वारा 'संयुक्त कार्यवाई' के प्रयासों के कार्यान्वयन हेतु एक व्यावहारिक कदम है।

दोनों संस्थाएं पहले से ही उन देशों की पहचान कर चुकी हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमों में उत्कृष्ट श्रम को केंद्रीयित बनाने हेतु यूएनडीपी तथा आइएलओ की सहायता से संयुक्त कार्यवाई की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। समझौता अन्य संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं, कोषों एवं कार्यक्रमों के लिए खुला है तथा वह संयुक्त राष्ट्र के सुधार प्रयासों में भी सहयोग देगा। यह नवी भागीदारी यूएन के निवासी समन्वयकों द्वारा समस्त यूएन कार्यसूची की ज़ोरदार तथा प्रभावी वकालत करने की ज़रूरत पूरा करने में सहायक होगा। ये निवासी समन्वयक 130 से भी अधिक देशों में यूएन राष्ट्रीय दलों की अमुवाई कर रहे हैं। यूएनडीपी की समन्वयक भूमिका के मद्देनज़र यह समझौता यूएन सदस्य देशों में आइएलओ के उत्कृष्ट श्रम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में योगदान देगा, तथा यूएन राष्ट्रीय कार्यक्रमों में आइएलओ की भागीदारी का स्तर उन्नत करेगा।

आइएलओ चुनींदा देशों में स्थित यूएन के निवासी समन्वयों तथा उनके आइएलओ प्रतिस्लूपों के लिए अपने तूरिन केंद्र में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेगा। इस प्रशिक्षण के उद्देश्य होंगे उत्कृष्ट श्रम कार्यक्रम की बेहतर समझ मुनिशित करना तथा उत्कृष्ट श्रम राष्ट्रीय कार्यक्रमों को यूएन राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय समन्वयक एवं कायकम ढांचों के साथ जोड़ने के लिए उपयुक्त रणनीतियां विकसित करना।

नये प्रकाशन



■ व्यापार तथा रोज़गार : नीति अनुसंधान में चुनौतियाँ (ड्रेड ऐंड इम्प्लाएमेंट : चैलेन्ज़ फॉर पॉलिसी रिसर्च)

मारिअन जैनसन् तथा एडडी ली
आइएसबीएन 978-92-2-119551-1 |

विश्व व्यापार संगठन के साथ सह-प्रकाशन। जेनेवा। 2007.
मूल्य : 12.95 अमरीकी डॉलर; 8 पाउंड; 13 यूरो; 20 स्विस फ्रैंक।

यह अध्ययन परिणाम है विश्व व्यापार संघ सचिवालय तथा अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय के साझा अध्ययन का। इसमें एक ऐसे मुद्रे पर विचार किया गया है, जो दोनों संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है : व्यापार तथा रोज़गार में संबंध।

मौजूदा साहित्य के विश्लेषण के आधार पर यह अध्ययन व्यापार और रोज़गार के बीच संबंध जोकि एक बहुत विवादास्पद मुद्रा है, के बारे में क्या कहा जा सकता है? - और कितने आत्मविश्वास के साथ कहा जा सकता है - इस पर एक पक्षपात-रहित दृष्टि डालता है। अध्ययन व्यापरिक नीतियों तथा श्रम और सामाजिक नीतियों के बीच संबंध पर ध्यान केंद्रित करता है। और उन सभी के लिए रुचिकर होगा, जो इस विवाद में शामिल हैं : विद्वान तथा नीति-निर्माता, अर्थशास्त्री, श्रमिक एवं नियोक्ता, व्यापार तथा श्रम बाज़ार विशेषज्ञ।

■ विस्तारित यूरोपीय संघ (ईयू) में विकसित हो रही श्रम की दुनिया: प्रगति तथा अतिसंवेदनशीलता (वी इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ वर्क इन वी इल्टार्ज ईयू : प्रोग्रेस ऐंड वलरबिलिटी)

फ्रान्स्वा एरो तथा डैनियल वॉन-व्हाइट्हेड
आइएसबीएन 978-92-2-119547-4 | जेनेवा। 2007. मूल्य : 65 अमरीकी डॉलर; 33 पाउंड; 50 यूरो; 80 स्विस फ्रैंक।

क्षेत्र के वरिष्ठ विशेषज्ञों के एक कार्यक्रम समूह द्वारा प्रस्तुत यह पुस्तक ईयू विस्तारीकरण प्रक्रिया में सामाजिक नीति -

एक महत्वपूर्ण परंतु बहुधा उपेक्षित विषय - पर सामयिक जानकारी पेश करती है। पुस्तक श्रम की दुनिया में विकसित हो रहे व्यवहारों तथा श्रमिकों एवं उनके परिवारों पर इन व्यवहारों के प्रभाव - जो कभी-कभी भेदभावपरक हो सकते हैं - पर विचार करती है।



फ्रैंक।

महत्वपूर्ण लेखों का यह संग्रह श्रम की दुनिया में लैंगिक समानता के प्रयासों में मिली सफलता को दर्शाता है। आइएल्ओओ की पत्रिका 'श्रम की दुनिया' में 1999 से लेकर आज तक प्रकाशित ये लेख कई अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्रों, जिनमें जैसे एस्ट्रेनिया में रोज़गार तलाशी महिलाएं, तन्ज़ानिया में लैंगिक समानता के प्रति एक नवीन जीवन-वृत्त आधारित दृष्टिकोण तथा नॉर्वे में पैतृत्व अवकाश पर प्रगतिशील नीतियाँ सम्मिलित हैं, पर प्रकाश डालते हैं।

ये लेख न केवल उत्कृष्ट श्रम में लैंगिक समानता की मूलभूत प्रकृति उजागर करते हैं, बल्कि सरकारों तथा नियोक्ता एवं श्रमिक संगठनों के समर्थन से आइएल्ओओ द्वारा निर्णायक मुद्रों से निबटने के प्रयासों को भी अग्रभूमि पर लाते हैं।

■ कार्यस्थल पर समानता : समानता तथा चुनौतियों से जूझना (इक्वॉलिटी ऐट वर्क : टैक्लिंग द चैलेन्ज़)

कार्यस्थल पर मौलिक सिद्धांत तथा अधिकार पर आइएल्ओओ घोषणा (2007) के अनुर्वतन के तहत वैश्वक रिपोर्ट आइएसबीएन 978-92-2-118130-9 | जेनेवा। 2007;
मूल्य : 19.95 अमरीकी डॉलर; 11.95 पाउंड; 18 यूरो; 35 स्विस फ्रैंक।

रिपोर्ट कार्यस्थल पर भेदभाव के स्थापित तथा नये रूपों की जांच करती है एवं इस समस्या से जूझने के प्रयासों का वैश्वक चिकित्रण प्रस्तुत करती है। वह स्थायी भेदभाव के मुद्रों तथा रोज़गार में चिरकालिक नस्लीय, जातीय तथा लैंगिक भेदभाव के आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिक प्रभावों पर विचार करती है। इसके अलावा रिपोर्ट भेदभाव के नये रूपों जैसे आयु, लैंगिक अभिमुखता, आनुवांशिकी प्रवृत्ति तथा जीवन शैली पर आधारित भेदभाव - जोकि आद्योगिक देशों में वहस का विषय बना हुआ है - की भी जांच करती है। (दखें रिपोर्ट फाँचर पृष्ठ 4 पर)



■ संगठन की स्वतंत्रता : आइएल्ओओ के शासी निकाय की संगठन स्वतंत्रता समिति के फैसलों तथा सिद्धांतों का सार संग्रह पांचवां (संशोधित) संस्करण आइएसबीएन 92-2-119031-5 |

जेनेवा। 2006; मूल्य : 23 अमरीकी डॉलर; 13 पाउंड; 20 यूरो; 30 स्विस फ्रैंक।

लगभग 55 वर्ष पहले स्थापना के बाद से संगठन स्वतंत्रता समिति ने विभिन्न सरकारों तथा नियोक्ता तथा श्रमिक संगठनों द्वारा पेश की गयी 2,500 शिकायतों को निपटाया है।

इस संशोधित एवं आधुनिकीकृत सारसंग्रह में समिति के निर्णयों तथा सिद्धांतों को संक्षिप्त रूप में एकसाथ संग्रहीत किया गया, ताकि संदर्भ सरल हो जाए और संगठन की स्वतंत्रता के मौलिक सिद्धांतों को सुनिश्चित करने हेतु नीतियों एवं कार्यवाइयों पर मार्गदर्शन हो सके। इसके अलावा हर एक सिद्धांत तथा फैसले के अनुरूप सारसंग्रह के पिछले संस्करणों में या समिति की रिपोर्ट्स (नवंबर 2005 में पेश की गयी 339वीं रिपोर्ट तक) में संदर्भ दिये गये हैं।



■ सामाजिक संरक्षण, सम्मिलन तथा अतर्वेशन : अनुभव तथा नीति मुद्रे (सोशल प्रोटेक्शन ऐंड पॉलिसी इश्यूज़)

आइएसबीएन 978-92-2-119195-7 | जेनेवा। 2006, मूल्य : 22.95 अमरीकी डॉलर, 13 पाउंड; 20 यूरो; 30 स्विस फ्रैंक।

इस पुस्तक में तीन नवोदित नीति मुद्रों का विशेष उल्लेख है : सामाजिक सम्मिलन तथा रोज़गार के लिए सामाजिक सहायता, बहुविधीय उपायों से वंचित लोगों का पूर्ण सम्मिलन प्राप्त करना; तथा श्रम की दुनिया में बदलती परिस्थितियों के बीच सामाजिक सुरक्षा को मानव अधिकार का दर्जा देना।

नये सामाजिक सहायता कार्यक्रमों की भूमिका की जांच करते हुए, पुस्तक ऐसी विकास परियोजनाओं पर बल देती है, जो निर्धनता के कई पहलुओं पर एक साथ कार्य करें। कई कम विकसित संस्थानों परिवेष्ये तथा ग्रामीण क्षेत्रों के अतिसंवेदनशील लोगों के संरक्षण को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु स्थानीय विकास रणनीतियों के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के तरीकों पर भी ध्यान दिया गया है। प्राथमिक सामाजिक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा, आवास तथा पोषण की वंचित लोगों तक पहुंच की भी जांच की गयी है, क्योंकि ये सेवाएं सम्मिलन तथा सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।



■ नियोक्ता संगठन तथा एचआइवी/एडसः के खिलाफ कार्यस्थल पर कार्रवाई संबंधित जानकारी, साधन तथा उत्तम व्यवहार (इम्प्लॉर्ज ऑर्गनाइजेशन्स ऐंड एचआइवी/एडस)

आइएसवीएन 978-92-2-018526-1। जेनेवा। 2006।

मूल्य : 20 अमरीकी डॉलर; 11 पाउंड; 17 यूरो; 25 स्विस फ्रैंक। त्रिभाषीय - इंग्लिश/फ्रेंच/स्पैनिश - सीडी-रॉम

इस सीडी रॉम का मुख्य उद्देश्य है नियोक्ता संगठनों तथा उनके सदस्यों को एचआइवी/एडस के प्रभावों से ज़्यूने में मदद करना तथा इस महामारी पर उद्यमों की प्रतिक्रिया को सुढ़ड़ बनाना। यह सीडी-रॉम दिशा-निर्देशों, प्रशिक्षण सामग्री तथा संबंधित मामलों के अध्ययनों का बहुमूल्य संग्रह है। इसमें दिये हुए निर्देशों में से कुछ हैं : किस प्रकार -

- एचआइवी/एडस के खिलाफ कार्रवाई को समझा जाए
- श्रम की दुनिया में एचआइवी/एडस के खिलाफ कार्रवाई के प्रति उठाये जाने वाले प्रयास को समझा जाए

- ज़रूरी सूचना तथा व्यावहारिक दिशा-निर्देश प्राप्त किये जाएं
- विभिन्न देशों में नियोक्ताओं तथा उद्यमों के उत्तम व्यवहार एवं अनुभवों से सीखें। एंटरप्राइज़ेज़ के अनुभवों से सीखें।



■ आईटी उद्योगों के लिए काम्पोनेन्ट्स का उत्पादन : वैशिक अर्थव्यवस्था में बदलते श्रम की ज़रूरत। विभाषीय गतिविधि कार्यक्रम :

टीएमआइटीआइ/2007 (द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक काम्पोनेन्ट्स फॉर दि आईटी इंडस्ट्रीज़)

आइएसवीएन 978-92-2-119459-0। जेनेवा, 2007.

मूल्य : 12 अमरीकी डॉलर; 7 पाउंड; 10 यूरो; 15 स्विस फ्रैंक।

अप्रैल 2007 में त्रिपक्षीय बैठक के लिए तैयार की गयी यह रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक काम्पोनेन्ट्स उद्योग में हाल के विकास की जांच करती है। यह उद्योग, जो आईटी क्रांति की धुरी है, विश्वभर में लगभग 1 करोड़ 80 लाख लोगों को रोज़गार देती है।

कम लागत के कारण वस्तुओं के आपूर्तिदाता आमतौर पर निम्न वेतन वाले विकासशील देशों के निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों में अधिक पाये जाते हैं। रिपोर्ट नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व पर दृष्टि डालती है तथा इलेक्ट्रॉनिक काम्पोनेन्ट्स एवं उत्पादों के निर्माण में हाल की आर्थिक तथा रोज़गार प्रवृत्तियों का विश्लेषण करती है।



ब्रिकी के लिए आईएल्ओ के प्रकाशन बड़े पुस्तक विक्रेताओं या विभिन्न देशों में स्थित आईएल्ओ के स्थानीय कार्यालयों या सीधे आईएल्ओ थियेटर कोर्ट, तीसरी मंज़िल, ईंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003 से प्राप्त किये जा सकते हैं। दूरभाष: 24602101, 2462102, फैक्स: 24602111, ई-मेल: delhi@ilo.del.org

■ अफ्रीका में 2004-2006 के बीच आइएल्ओ गतिविधियां (आइएल्ओ ऐक्टिविटीज़ इन ऐफिका 2004-2006)। महा-निदेशक की रिपोर्ट। ग्यारहवीं अफ्रीकी क्षेत्रीय बैठक। अदीस अबाबा, अप्रैल 2007

आइएसवीएन 978-92-2-119659-4। जेनेवा। 2007।

मूल्य : 12 अमरीकी डॉलर; 7 पाउंड; 10 यूरो; 15 स्विस फ्रैंक। फ्रेंच तथा अरबी में भी उपलब्ध।



■ अफ्रीका में उत्कृष्ट श्रम कार्यसूची 2007-2015। (द डीसेन्ट वर्क अजेन्डा इन ऐफिका 2006-2015) महा-निदेशक की रिपोर्ट। ग्यारहवीं अफ्रीकी क्षेत्रीय बैठक, अदीस अबाबा, अप्रैल 2007

आइएसवीएन 978-92-2-119657-0। मूल्य : 12

अमरीकी डॉलर; 7 पाउंड; 10 यूरो; 15 स्विस फ्रैंक। फ्रेंच तथा अरबी में भी उपलब्ध।

हर चार वर्षों के अंतराल पर आइएल्ओ की अफ्रीकी क्षेत्रीय बैठक में आइएल्ओ के 53 सदस्य देशों से त्रिपक्षीय संघटक इकट्ठा होते हैं। ये दोनों रिपोर्ट्स अगले दशक में इस क्षेत्र में उत्कृष्ट श्रम को इस क्षेत्र में एक सच्चाई बनाने तथा इस प्रकार गरीबी में स्थाई कमी लाने हेतु एक प्रभावी तरीका उपलब्ध कराने के लिए ज़रूरी कदमों की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करती हैं।

अफ्रीका में आइएल्ओ गतिविधियों पर रिपोर्ट वर्णन करती है कि किस प्रकार उत्तरागाड़ू शीर्ष सम्मेलन में अपनायी गयी कार्य योजना को राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तरों पर लागू करने के लिए आइएल्ओ ने अपने सदस्य देशों तथा विकास सहभागियों, विशेषकर अफ्रीकी संघ आयोग तथा क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों, के साथ मिलकर काम किया है। उत्कृष्ट श्रम पर रिपोर्ट वर्तमान अवसरों तथा चुनौतियों का विश्लेषण प्रस्तुत करती है तथा उन मुख्य मुद्दों की पहचान करती है, जिनसे निवटना आवश्यक होगा।



■ श्रम सांख्यिकी अब्द-कोष 2006, 65वां संस्करण (विअरबुक ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स 2006, इश्यु 65)

आइएसवीएन 978-92-2-019193-4। मूल्य : 220 अमरीकी डॉलर; 135 पाउंड; 180 यूरो; 275 स्विस फ्रैंक। त्रिभाषीक इंग्लिश/फ्रेंच/स्पैनिश। सीडी केवल इंग्लिश में

‘श्रम सांख्यिकी अब्द-कोष’ 1935-36 में प्रकाशित प्रथम संस्करण से ही श्रम मुद्दों पर विश्व की अग्रतम सांख्यिकी संदर्भ पुस्तक मानी जा रही है। यह अब्द-कोष लगभग 190 देशों, क्षेत्रों तथा प्रदेशों के आधिकारिक स्रोतों के विशालकाय तंत्र से भारी मात्रा में प्राप्त सामग्री को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है।

यह नया 65वां संस्करण पहली बार दो जिल्डों में जारी किया गया है :

• **जिल्ड 1 : समय शृंखला** - यह ग्रंथ इससे पहले के संस्करण के आकार में पिछले 10 वर्षों के आंकड़े पेश करता है। इसमें नौ मुख्य अध्यायों में संबंधित 31 तालिकाएं हैं। ये नौ अध्याय इन विषयों पर हैं - आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या, रोज़गार, बेरोज़गारी, श्रम लागत, उपभोक्ता के लिए मूल्य, पेशेवर चोटें तथा हड्डतालें एवं तालाबंदियां।

• **जिल्ड 2 : राष्ट्रीय रूपरेखाएं** - जिल्ड एक के प्रत्येक विषय के नवीन आंकड़े उपलब्ध कराता है, तेकिन देश के अनुसार। इसमें आर्थिक तौर पर सक्रिय जनसंख्या, रोज़गार तथा बेरोज़गारी के वैशिक तथा क्षेत्रीय अनुमान भी दिये गये हैं।

रोज़गार, बेरोज़गारी, काम के घटे, वेतन तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के साधारण श्रंखला संबंधित आंकड़े ‘बुलेटिन ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स (श्रम सांख्यिकी पत्रिका)’ में प्रकाशित किये जाते हैं।

सीडी-रॉम दस वॉल्यूम्स में केवल इंग्लिश में उपलब्ध है। सीडी-रॉम में ‘सोसिज़ ऐंड मेथड्स’ (प्रोत एवं विधियों) की 10 जिल्डें भी सम्मिलित हैं, परंतु केवल इंग्लिश में।

**कृषि क्षेत्र में बाल श्रमिकों की संख्या
घटाने पर आईएलओ का जोर**

निवासी नियम-2007 के प्रभाव से गुरुः आल शोपिको की संदेशा प्रत्याने के लिए पांच अंतरराष्ट्रीय कानून संगठनों से भागीदारी करके एक नई शूरुआत की है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संघठन (आईएसओ) के सूची के अनुसार आईएसओ के व्यापक अंतरराष्ट्रीय संगठनों में इन पांच भागीदारों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। जिन संगठनों ने हस्ताक्षर किए उनमें आईएसओ, आल शोपिको की कानून संगठन (एफएओ), वाराणसीट्रीय कृषि पिकार और (वाईएसडी), डिग्गराम्प्रीय लाल नीति अनुसंधान (सीजीआईएस) अंतरराष्ट्रीय कृषि व्यवस्था परिवर्तन (आईएसओ) व खाद्य चृति हाल रेस-मिट लंबांग भी जोनराष्ट्रीय यूनियन वामिल हैं।

६८ तक २०१६ तक चाल श्रीपिंडी की दरवारी मिस्ट्री, लत्प करने का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। उन्होंने पांच अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्री समाजों की भागीदारी का स्थान अपने एक वर्ष में एक बुट होकर और

विश्वविद्यालय आदेशन को गठन करते थे। इनमें से एक विद्यालय नाम संस्कृत विद्यालय था। यह विद्यालय भारतीय विद्यालयों में सबसे पुराना था। इसकी स्थापना विद्यालय के अधिकारी द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना की तिथि जारी नहीं की गई। इसकी स्थापना की तिथि जारी नहीं की गई। इसकी स्थापना की तिथि जारी नहीं की गई।

बालश्रम का न हो कोई स्थान : लीला

जड़ दिल्ली। 'हमें जल्दी खिलाय का समाचर देता न-नहा है जिसमें बालकम सोईं स्पष्ट नहीं रखता हो।' ऐसा कहना है शाला देवी रेडी का यो भाव तो ये अंतर्मुखी बच्चा उसके पांच वर्षों की विवरणीय ओर निर्देशिका है। इनका व्यापक उपयोग गोवा और झारखण्ड द्वैयालपांडे के लकड़ीबाजार में सोभानार आयोगित किया गया। इतनेसे नल, लेवर अंतिमइंद्रेशन (आईएसओ) के अनुसार बतलवाया जानकारी ठनके न लेके देवा के परिवर्तन लेवी लिए जाएं।

जानकारी

इंटरनेशनल लैबर पार्क में धीन और भारत काफी आगे बढ़ाया गया है और उन्हें विश्वास होने से विवर कर दी जाती है। 12 जून, 2007 वर्ष के अंत तक इंटरनेशनल लैबर पार्क के अवसर पर यों जी के बदला (प्रधानमंत्री) के इनोवेटिव एडग्राउंडी कार्यक्रम के सहाय्या के रूप में नाम इंटरनेशनल लैबर पार्क में जीन और भारत काफी आगे है। समाजिक और आर्थिक विकास करने से ही इन्हें खास विद्या या समाज है। विश्व भवन से इनके द्वारा दिया गया विप्राचय कर रहा है। यों ही आवश्यक (नेशनल लैबर पार्क इंटरनेशनल लैबर पार्क के सहाय्या) में किए गए और वास्तविकता में अंतर जो ड्रामा है। 1991 से 2001 के दौरान यों लाइब्रेरी की बढ़त हुई है। इनके द्वारा जारी की गयी विश्वास विश्वास की बढ़त हुई है।



लाइन लेवर या लिंगी प्रूतक का नियोंसंग काले प्लॉटीक छपा गया रखा

उदारीकरण के दौर में बढ़े 10 फीसदी बाल मजदूर

This high-angle aerial photograph captures a sprawling urban landscape. The city is densely packed with buildings of various sizes and architectural styles, interspersed with a network of roads and green spaces. A prominent feature is a large, light-colored rectangular building complex in the lower-left quadrant. To its right, a long, narrow stadium or arena with tiered seating is visible. The surrounding areas show a mix of residential blocks, commercial structures, and industrial facilities. A river or major waterway cuts through the city's southern edge, with several bridges crossing it. The overall scene is a complex tapestry of urban development and natural elements.

ਕਾਲ ਕਸ਼ਾ 'ਡਿਕਲ ਗਰੜ' ਲਿਖੀਅਹੋਂ ਦੇ ਜਾਣਾ
ਵੈਖਾਈ ਵੇਂ ਜਾਣਾ

‘बाल विभिन्नों के द्वारा पूरी तरह सामाजिक और शिक्षणीय हार्दिक

पांच से 14 वर्ष वाय का के प्रभाव

प्राचीन वार्षिक लोगों : आद्यता
कल्पनों के दिव्यानन्दवत् के हित
यामीन लोगों में उत्तमित वर्णनोलग्ना
स्त्री वर्णना

उदारीकरण का तोहफा : 10 फीसदी बढ़ गए बाल मजदूर

भारत नेटवर्क, जॉर्ज विल्सन
भारत में लकड़ीकरण की ग्रुप्पाइयों के साथ ही अर्धव्यवस्था में जहौं उत्तरांत का दूसरा प्रमुख यात्रा ग्रुप्पाइयों की लकड़ी में 10 प्रमुखों की बहुमतीय शक्ति है। यह कई कॉर्पोरेशन-फल्पना या अनुमति नहीं विलिंग अंतर्राष्ट्रीय बाजार ज्ञान विवेचना द्वारा दिया गया और भारतीय शक्ति संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट 'बाल ग्रुप्पाइयों के तात्पर्य और जाकें' 2001 की जनगणना का एक विवरण' में कही गई कल्पना सत्यर्थी है। उत्तरांत का पालनपालन दृष्टि से पूर्णतया और निरोना भूगत वे कितानों के बाद अब बाल ग्रुप्पाइयों को संदर्भ में चूँहे के दून आंकड़ों ने भालीय संदर्भ में इस विशेष गतिविधि को लेकर जारी नीतियों की समीक्षा की जातीया को सम्पर्कन कर दिया है।

2001 की जनगणना के अनुसार यह विधानसभा बताता है कि 5 से 14 साल की उम्र में जनजीवी करने वाले व्यक्ति भी कुल संख्या 1.26 करोड़ थी। इनमें से अप्पे से जनजीवी करने वालों की संख्या 45.62 प्रतिशत थी, जबकि डिट्राइव करने करने वालों की संख्या 54.38 प्रतिशत थी। यात नवजीवी के विद्यालय यात छोटे विद्या

जब यहाँ गए गोगल्सार द्वारा लिखा जाता था कि उसे निकलने के बाद वह अपनी निकाली। -कृष्ण

दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रम संघटन के उपक्रमों का जीवन इस रिपोर्ट का महत्वात्मक बाल मजबूती के खाले के दिए प्राप्त उच्चों को योग्यता बनाने में मद्दत करता है। इसके बाल मजबूत ग्रोवर्क विभाग में पाया जाता है कि 1991 तुलना में 200 में 5 से 14 वर्ष के बाल मजबूतों को संख्या पर 10.68 प्रतिशत की घटाई हुई है। इन दौरान मुख्य रूप से मजबूतों काने वाल बच्चों को संख्या में एक विस्तृत की कमी ले देकी गई रिपोर्ट में यह समझौतों काने वाले बच्चों को संख्या पर कारबूद-207.10 प्रतिशत को बढ़ाव दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे के मुख्य मजबूतों में 5 से 14 साल उम्र के बच्चों वो भागीदार-3.15 है। हमने 45 में मुख्य रूप से मजबूतों नामने वाले वैज्ञानिक मजबूतों को स्कूल जाते हैं, उनमें संख्या मजबूत 14.07 प्रतिशत गई जबकि इटिटूट काने वाले बच्चों को दिए गए वैज्ञानिक मजबूत थी। ऐसे बच्चों का प्रतिशत 36.68 पाया जाता है कि वे बच्चे कान नहीं बनाते हैं, उनकी भी एक बड़ी संख्या स्कूल नहीं जाती है।

श्रम मंत्रालय 'इंस्पैक्टर राज' के दाग से विक्षुब्ध

नई दिल्ली, (भारत) : हैंपेट्रोल, गृह
कानून युनिवर्सिटी के बीच बाहरी
ने अब उत्तराखण्डी से कहा कि ते
नियोगी गृहियों और जनजातीयों के लिए,
सुधार और विकास के लिए प्रश्नों को
उत्तर देने की भूमिका नियोगी वर्ष
से लिया है। उन्हें यह अवधारणा और
सेवाओं द्वारा अनुसूची के द्वारा सीधे
ग्रामीण सम्प्रदाय का विवरण लेने के लिए
काम करने की चाही है। यही काम
करने वाले में यहाँ शामिल नहीं होने
के लिए उनके पेशेवर संस्थाओं मानक
नियमों का लाभान्वयन है।¹
उक्ति कहा कि 'इस सम्प्रदाय में हैंपेट्रोल
उद्योग जनजातीय कल्याण की मानवता
का इतिहास-प्रभावी हो-हो जाता है।' हैंपेट्रोल
एवं जनजातीय विकास को लौटी के लाभ
प्रश्नोंपरोक्ष व्यवस्था योग्य हो जाने ही में
कहा गया कि अधिक सुधारों ने जाती व्यवस्था
का एक व्यापक कर दिया हो इंप्रेसर
का एक विकास को वापस है अतिक व्यवस्थे
से कठीन अनुकूल हो रही है।



दिखती है : भारत में अन्न वितरण कई देशों की सुलतन थे कार्यवालों वे भेदभाव कम होता है तो तेजिन जातियों के अधिक पर भेदभाव की समस्या दृष्टि भी गंभीर है। अंतर्राष्ट्रीय वितरण की दृष्टि (विदेशी दृष्टि) का अनुभव इस विषय पर एक बहुत जटिल विचार में आहे युनानी विद्या यात्रा है। विद्या विद्यायामी असंकेत योग्योदास द्वारा अब यात्रा यह विद्याएँ जारी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय वितरण में समस्या (विद्यायामी विद्याताता) और भौतिक के बजाए इन विदेशों के अन्नपान पुरितर्क देशों में फिल्सीदास में भेदभाव के सबसे अधिक 21 विदेशों के ग्रामों इकाइयां में अपने जातिक भालत में वह भीतर 12 प्रतिशत है।

प्राप्ति के अनुभा भवति गे जिति के अनुभा पर ऐक्यानुष्ठान के मामानी वै विविध वै अन्यान्याचलनान् नहीं देखा जाता। इससे सत्याकाश प्राप्तिया में लोकों के सत्य ऐक्यानुष्ठान जारी रहने वै उन्हें साक्ष मकारौ दीर्घे काल ही जाहा निवाहा है। तिरोपाय के इस थेट में वीक्षणियों में महिलाओं वै विवेच-अवधारणाएँ हुए हैं तो उनकी वास्तविकी अपी भी बहु ४-५ दृष्टिकोण है।

भारत में कार्यस्थलों पर जाति के आधार पर भेदभाव : आईएलओ

एकलिंगी
-५० चढ़ी दिस्ती 10 मंडे


प्रातः में अंतर्यामी देवी की सूचक में जारी होनी परिपालक चरण होता है तो इसका जागीरा को अधिकार प्रदान करने वाली समस्त अधीक्षी की संजीवन के। अंतर्यामीय आग्रा ब्राह्मण (अस्ट्राइन्स) के अनुसार में एक साथ जारी रिपोर्ट के साथ सम्पादित किया गया है।

लेख राजा नवी अपने कर्तव्यों से दूर आव आव वह एक रिपोर्ट लियी रखी है। असहायतात्मक यह रिपोर्ट में सम्बन्धित कुछ ऐसी विवरण शीरिया से जारी उत्तर रिपोर्ट के अनुसार पुराणाहृत ऐसा वे फिल्मीयोंसे ये भेदभाव के बदलसे जड़ता है। इसीलिये यहाँसे इसका से आदे जबकि भरता है यह औरता 12 घण्टियाँ हैं। भरता में जाति के अपना यह भेदभाव जैसे व्याप्ति में विस्तृति में व्याप्ता नहरनाल रखी रखेगा यह। दरअसल दिव्य

पुस्तिका में टीकिसी के साथ खेलभाग
जारी रहने और उन्हें सामने लायार्ड और
काना की जगह लियी है।

टिपोर्ट के इन शेर में नैकरिये
में महिलाओं के लिए अवश्य देखें
हैं लैकिन दलनी चाहीदी। अपनी
यी पात्र ६.५ प्रतिशत है। उन्हें उल्लेख
के अनुसार १६.५ प्रतिशत कम से जैवन
प्रिवेट है। वार्षिक लाभों पर ऐप्पलपार
के लिए अधिक लक्ष्य हैं ज्याक्स प्राप्ति
के बावजूद उच्च और उल्लेख में
असम्भवा के सब लाभ गठन के लिए लाभ
लगातार बढ़ रहा गठन के लिए लाभ
एकमात्र चिंगा का कामण बनाया जा रहा
है। टिपोर्ट ने ऐप्पलपार के लिए अधिक
में प्राप्ति के साथ एक विकल्पों
को भी डाकेतू है। यह गर्वन
लैकिन लिंग, नस्ल और उच्च प्र
प्राप्तियां ऐप्पलपार से बहुत उत्तम
नहीं हैं (जैसे अमृ एवं लैकिन
दिल्ली लंगो लुकआउट्स-फ्रेंड) जीव
विविध और विकल्पोंमात्रा ऐसे मुख्य प्र
आवश्यक हैं) से निकल भल रहा है।

इसी गति से उत्तरांकों पर नियमित रूप से विद्युतीय में सुधारवालीकरण की क्रियाकलाप शिखित हुए रहीं। इन बच्चों के द्वारा नियमित रूप से विद्युतीय में सुधारवालीकरण की क्रियाकलाप शिखित हुए रहीं। इन बच्चों के द्वारा नियमित रूप से विद्युतीय में सुधारवालीकरण की क्रियाकलाप शिखित हुए रहीं।



ચેતનાલ પ્રોડક્શન્સ

一
四

महादेव

पट्टरी यज्ञ

12 February, 2007. New Zealand



ग्राम्य चालापोल 'सुना व चपल' की सीढ़ी का अन्तरण करते हुए।

● सम्प्रदायकारी ने किया 'सना ब्रह्मन' की गोड़ी का अनुष्ठान

नई दिल्ली (मैट्रो): इस अग्राम के मुताबिक देश में एक करोड़ 26 लाख से अधिक बच्चे तक 45 लाख से कम हैं। इनमें 20 लाख तक अधिक बच्चे हैं जो उड़ानों में कार्रवाई करते हैं। इनमें कार्य करना भारतीय भाषा है। हालांकि सरकार द्वारा यह मजबूरी को ठोकने के लिया उपाय लिया गया तो किन भौतिकों ने जनता की दशहरीनाम के कारण सारों बोकाझी थीं कि क्या ही है इस लाभ? इनमें लगभग 25 प्रतिशत व आठ मजबूरी को लिया गया है जबकि वे जनता को जनता के द्वारा इस से प्रभावित नहीं रखते थे। यहाँ से लगभग 22 प्रतिशत की यासन्मानी लिया गया है। इस विषय का विवाहित होने से लेकर नदियों के इनहस्त बायोलैंट लोकों प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। इसमें विवाहित में भारत सरकार के बय मन्त्रालय, विद्या विभाग व अंतर्राष्ट्रिय के अन्य विभाग तथा वे सभी लोगों हैं। यहाँ सरकार किया गया प्रत्येक अविवाहित में मुकुरी अभियान के तहत एक प्रत्येक यासन्मानी की ओर जो बालविधान ने विवाहित लोकों का अवसरा किया। कियान का बुझान के त्रैविंग उत्तर प्रदेशी को बेताहा है औ उसके से सेंसर के लाप्ति अपने लोकों के बचावन का वार्तानाम तक देते हैं। यिन्होंने मैं दिल्ली की यासों की बातें बिन-बिन उड़ानों में कहा कहाँ हैं व उनसे उनके गोरी पर किया ग्राम का विवाहित प्रभाव पढ़ाया है। इनको मैं उनको के विकास के लिये काम करने वालों तक पाया है औ मालाकी खेड़ेवाले वे ग्राम में युवकोंका घौसा है। अब इन उड़ानों में जाता है कार्यालय वे ग्राम में युवकोंका घौसा है।

सिसकाता बचपन

अर्द्ध वित्तीय जागरूकता

ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦੂਲੀ ਕੀ ਹੋਣਗਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੇ

1 करोड़, 26 लाख है। इनमें से 20 लाख का जनपन यात्रियों ने पर्सीना बदलते लौट आया है, जहाँ काम करने की परिस्थितियाँ सुनिश्चिय होती हैं। अक्षय, वैज्ञानिक ही 20 लाख के लिए सम्भव नहीं भी आगे आना होगा। गिरजा का मकान-द्वारा जो जनसंख्या बढ़ाव है।

बाल पञ्चम विस तारु के सौक्रिय भरे

क्षमा नहीं है, यह कहे ताकि अपनी वास्तविकता की स्थिति होता है। नाते वीपकी भी चालान को व्याप लेनेगल नहीं कियगे। 'लाइट चॉइलर्स' में प्रधानी होगी ये पैसा किना चाहा है, जिसका प्रारंभिक पिछले दिनों होड़ा हो दिए हैं। सपाहार में किया जाएगा। ऐसे तो कहा, 'लाइफस्ट्रेट शोटों प्रोजेक्ट है, लोकिन् न याकार्पोरा, बैंक, खालीको व्यापक न बदलेगा कि उद्योगात्मक विकास।' हम अपने पार एवं बाहर भी चालान लेंगी। लोकिन्, सुधा यिलान्ड, राज्य, नंदी पश्चीम चौक, अंतर्राष्ट्रीय ब्रम सोनगढ़, एसिया परिवर्तिका के निदेशक जीके ने अपनीरकी दूरावासा के मिलन त्रावणको जी, ऐसे भी उपरिक्षा थे।

इसमें जड़ों की खेती भारतीय विकास का है। इसे केवल सरकार ही बत्ते नहीं कर सकती, विकास हमें दूर करने के लिए सामग्री की भी आवश्यकता होती है। विश्व का सकारात्मक भोगी को जगान्तक करता है।

लम्बोदर्प भारतीय के मुख्य न्यायाधीश के जीवा वातानुकूलियन ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। हस्त अपराध पर तत्त्व व सेवागत मंत्रालय की सहायि तुष्णि पिलार्ड, राष्ट्र एवं दूसरी वर्गीकृत, अंतर्राष्ट्रीय अमेरिकन, प्रैटिशन प्रैसिफिक के निदेशक वैकं चौ न अमेरिकी दूतावास के निदेशक लगावकाश जी, और ऐ भी उपरिकॊपा में।

बराबर काम पर योग्य काम

नहुं बिल्ली। त्रिपथि में वर्षायार्दी
गढ़ियालकों की संख्या में घटाव हुआ
है, यह पुरुषों के घटाव से ५५% भी
उन्हें ज्ञान विकसन है। यात्राओं
संगत घटाव में प्रत्येक वर्ष के
मात्र असन्नता के ग्राम और शहर के
हुआ है। लौहित इलाजों जैसी व्यवस्था
धैरी है। श्रीनगरपुरी जैव धनायज्ञ
(अद्वैतवादी) के प्रारम्भिक नम्बर २००६
में एकमात्र गढ़ियालों का घटाव वे
होना पड़ा हुआ है। यह चाल्ड्या भृकु व्यवस्था
२००८ में बढ़ाव एवं भृकु व्यवस्था
को देखते हुए है। लौहित इलाज विविध
पुरुषों को बढ़ाव दाने पर भी
उन्हें ५०% विस्तृत ज्ञान विकास
दृष्टि से अद्वैतवादी व्यवस्था की ओर
संबंध रखते हैं।

श्रम शक्ति में लिंग भेद का
कारण धर्म नहीं। आई अवधि

कैसाक, 13 वर्ष (सत्तागा)। श्रीलग्नार्थीन कम संगठन (शहीदों को) ने कहा है कि पश्चियात देशों में श्रापनों ये लिंग-वैद्याय वे लिंग घरों को नियोजित नहीं रखते थे सचेत है। सोनमन ने काम में समाजता बचती अपनी भूमि में पह निष्ठने निकाला है। इसके गुणात्मक भास्तु में व्रत विधि में विविधता की हिस्तेनारी सिफ 26 वर्षों से है उचित पुरुषों को ₹4.1 फीसद।

लेट में बहात गया है कि लोगों ने अपनी भौतिकता और
भौतिकता में यह अंत मालामाल ३० थक का है। इन
देशों थे जिनमें अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के साथ
ये संग्रहन के एक विशेषज्ञ दिव्य वी नेपर ने बहात कि
यह कई तर्जों में ही एक है। उन्होंने कहा ही नहीं
कहा कि इन देशों में इसे वाह के लैकड़ी
फालाड़ियों को नैकरी में लाया जा सकता है।
भूतिका निर्माण याकूब मर्यादा है।
कोई संवेदन नहीं है, जिसके बाहर युनियन छर नहीं है।

आइएलूओ की नई वेबसाइट देखिए!

Español | Français

Contact us | Advanced search | Site map |



International Labour Organization

Promoting decent work for all


Search

Give us your feedback

About the ILO | Departments and Offices | Regions | Themes | What we do


The International Labour Organization (ILO) is the tripartite UN agency which brings together governments, employers and workers of its member states in common action to promote decent work throughout the world. [more >](#)

What's new



Conclusions of the Tripartite Meeting on the Production of Electronic Components for the IT Industries

The IT sector has been among the most dynamic and innovative in the globalized economy, creating millions of jobs and wealth worldwide... April 19, 2007



Official site of the Eleventh African Regional Meeting, Addis Ababa, 24-27 April 2007



Combining microinsurance and new technologies to protect the poor - April 5, 2007

► Trade and employment: Panel discussion on issues arising from the joint ILO/WTO Secretariat study on challenges for policy research.

► Global Employment Trends for Women 2007: ILO study warns on the feminization of working poverty - March 7, 2007

► ILO concludes Understanding with Myanmar - February 26, 2007

► ILO, UNDP join forces to promote growth for decent jobs - February 9, 2007

Main aims of ILO's work

The International Labour Organization (ILO) is devoted to **reducing poverty**, achieving **fair globalization** and advancing opportunities for women and men to obtain **decent and productive work** in conditions of freedom, equity, security and human dignity. Its main aims are to promote:

Employment creation

Create greater opportunities for women and men to secure decent employment and income.

Rights at work

Working extensively throughout the world to promote a solid legal framework for respecting basic economic and social rights.


Social protection

Enhance the coverage and effectiveness of social protection for all.

Social dialogue

Bringing together representatives of governments, employers and workers to foster cooperation and to deliver "real world" knowledge about employment and work.

Featured



World of Work Magazine No. 59, April 2007 - (pdf 1707 KB)

- Global Employment Trends - 2007
- Maritime Labour Convention 2006 web site
- NATLEX - country profiles database
- 2007 Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations
- Decent Work Country Programmes

News

- Conclusions of the Tripartite Meeting on the Production of Electronic Components for the IT Industries
- ASEAN and ILO to cooperate in addressing labour and employment issues
- ILO and WTO issue new joint study on "Trade and employment: Challenges and policy research"
- ILO Director-General statement on Guinea
- ILO, employers' and workers' organizations strengthen joint action against HIV/AIDS in Africa
- A new web portal against child labour launched in Brazil
- Meeting of G8 labour ministers constitutes ILO Director-General calls for global response to "jobless growth"
- International Labour Review: special issue on migration
- ILO and Global Compact to hold Policy Dialogue in London on Discrimination in the Workplace, 6th - 7th October
- ILO and ILO team up to improve working conditions in global supply chains
- ILO launches child labour web movie
- International Microfinance Training gets for Tunis (Italy) as world capital

Photo library | Video



Nearly 1.2 million seafarers work for the world's shipping industry. The Maritime Labour Convention clearly sets out, in plain language, a seafarers' "bill of rights" while allowing a sufficient degree of national discretion to deliver those rights with transparency and accountability. It consolidates and updates more than 45 international labour standards adopted over the last 60 years.

- ILO adopts sweeping new charter for maritime sector. New Convention will guarantee "quality shipping" worldwide
- 94th (maritime) session of the International Labour Conference
- Shipping, ports, fisheries, inland waterways